Mool Chand Sharma
B.Sc., LL.B.
ADVOCATE

☎ 01482-229707
(M) 98290-08086
87, 8th Street, Vardhman Colony
BHILWARA - 311 001 (Raj.)
E-mail : moolchandadvocate@yahoo.co.in

Date 13-02-2020

To,

The Branch Head,
Indian Bank,
Branch – Shastri Nagar, Bhilwara (Raj.)

Ref. :- My legal scrutiny report dt. 07-02-2020 regarding land of Araji No. 516 & 837/506 at Village Segwa, Tehsil & Distt. Chhitorgarh (Raj.).

Dear Sir,

With reference to above I have perused various Pattas issued by Municipal Council, Chittorgarh in favour of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. more particulars are given in Annexure-A attached here with and certified that :-

i. The Patta Vilekhs are valid and duly executed by Government local authority Municipal Council, Chittorgarh in favour of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.

ii. The Plots are allotted to M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. for residential purpose on lease hold rights for the 99 Years from the date of issue.

iii. Land is mortgageable and equitable mortgage can be created in favour of our Bank by M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. by depositing of above Patta Vilekhs.

iv. The property is covered under The Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Place : Bhilwara(Raj.)
Date : 13-02-2020

(MOOLCHAND SHARMA)
(Advocate)
(Legal Adviser to the Bank)

Enclosed :-

i. Annexure-A

Scanned with CamSc

!!श्री तिरूपति सांई लॉ चैम्बर!!

.V PALIWAL
Advocate
B.Com., LL.B., D.LL.
(M) 94130-55473,
97856-14713
gauravpaliwal1980@gmail

ADVOCATE

Office & Residence :-
At Bhilwara :-
35-A, Behind UIT
& Opp. Lions Club, Subhash Nagar,
Bhilwara - Raj. 311001
At Shahpura :-
Mehlon ka Chowk,
Shahpura, Bhilwara
Pin. 311404

Date : 06.03.2020

Format of Legal Scrutiny Report

To

The Chief Manager
Indian Bank
Branch Shastri Nagar, Bhilwara (Raj.)

Dear Sir,

With reference to your letter No..... dt..... I submit the Legal scrutiny report related to the property of the above party:

Account Name and address of Borrower:

M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.

Account Name and address of the title holder:

M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.

I. Details /description of the documents scrutinised:

Sl. No.	Date of document	Name/Type of document	Reg. / Ref No.of the document with date	Whether original/Certified/True Copy/Photostat
1	11.10.2019	Jamabandi of Araji No. 837/506 for Samvat 2066 to 2069	N.A.	Copy
2	11.10.2019	Jamabandi of Araji No. 516 for Samvat 2066 to 2069	N.A.	Copy
3	22.08.2013	Conversion Order No. 8359-61	N.A.	Copy
4	09.10.2019	Jamabandi of Araji No. 837/506 for Samvat 2070 to 2073.	N.A.	Copy
5		Jamabandi of Araji No. 516 for Samvat 2070 to 2073.	N.A.	Copy
6	16.05.2019	Layout Plan of Araji No. 837/506, and 516	N.A.	Copy
7	16.01.2020	Affidavit of Mr. Nirmal Singh & Mr. Lokendra Singh	N.A.	Copy
8	16.01.2020	Affidavit of Mr. Bheru Lla Gameti	N.A.	Copy
9	17.06.2019	Sale Agreement	N.A.	Original
10	24.12.2019	Receipt No. 701/008	N.A.	Photocopy

II. Details/Description of the Property/ies:

Sl. No.	Survey No., Khata No.,House No., Site No.	Extent/Area of Land/Building	Location Village/Municipality/ Sub-District/District	Boundary	
1	**Araji No. 516 & 837/506**	**Measuring 45725.44 Sq. Ft.**	**Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh.**	**East**	**-As per valuation report**
				West	**-As per valuation report**
				North	**-As per valuation report**
				South	**-As per valuation report**

III. Opinion on Flow of Title

1	Brief history of the property and how the owner/mortgagor has derived the title - Flow of title is to be given chronologically for a minimum period of 13 Years if original documents of title to the property in favour of the mortgagor is produced by the mortgagor. If original documents corresponding to 13 years is / are not available, then certified copies of documents of title are to be obtained so as to cover a minimum period of 30 years (If space is found insufficient, please furnish information in an additional sheet)

Advocate
Mobile No.
9413055

Scanned with CamSc

!!श्री तिरूपति सांई लॉ चैम्बर!!

GAURAV PALIWAL
Advocate
B.Com., LL.B., D.LL.
(M) 94130-55473,
97856-14713
gauravpaliwal1980@gmail

ADVOCATE

Office & Residence :-
At Bhilwara :-
35-A, Behind UIT
& Opp. Lions Club, Subhash Nagar,
Bhilwara - Raj. 311001
At Shahpura :-
Mehlon ka Chowk,
Shahpura, Bhilwara
Pin. 311404

Date : 06.03.2020

	In beginning above said property was Agriculture property and belongs to Individual Persons and Araji No. 516 & 837/506, Measuring 45725.44 Sq. Ft., Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh Was in The Name of Shri Bheru lal S/o Naru Gameti and Shri Nirmal Singh S/o Balveer Singh, Shri Lokendra Singh S/o Moti Singh Chouhan. Later On Asstt. Town Planner Municipal Council, Chittorgarh Converted Above Said Propery For Residential Purpose and Issued Conversion Order No. 859-61 dt. 22.08.2013, Approved Layout Plan dated 16.05.2019.Then After Affidavit Cum Declaration Signed By Nirmal Singh Rathore & Lokendra Singh Chouhan and Bheru Lal Gameti. Later ON They Sold This Property to M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. Vide Sell Agreement Dated 17.06.2019 After This M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. Becomes Owner Of Above SaiD Propwerty And Can Issued Various Patta Vilekhs In His Favour. So now M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. is complete and absolute owner of Residential Converted Property Araji No. 516 & 837/506, Measuring 45725.44 Sq. Ft., Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh and company can mortgage it in favour of the bank.	
2	Describe nature of title (viz., full ownership rights, leasehold rights, occupancy/possessory rights or any other) If the title is leasehold rights, state	**Leasehold**
	a. Whether the lease deed has been registered as required under Law	**NO It Will Be Registered In Future In Various Plots As Patta Vilekh.**
	b. The period of the lease	**99 Years Starts from 29.06.2018.**
	c. Whether any permission/NOC from lessor is required for creation of mortgage.	**NOC Is Required From Municipal Council Chittorgarh in Favour of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd For Mortgage.**
3	Mention minor,s interest, if any is involved. If so, whether Court permission (except in case of HUF property) has been obtained for offering the property as security	**There is no interest of any minor in above said property.**
4	State here whether the mortgagor/title holder is in unhindered possession of the property and if so, the period for which he is in such possession.	**In Present Proposed Mortgageble Property Is In Possession Of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. From Dated 17.06.2019.**
5	Is/Are the property/ies free from encumbrances	**Yes proposed mortgageble property is free from all encumbrances.**
6	Please give detailed account of creation of charge/mortgage or redemption for a minimum period of 13 years and also state the subsisting charge/mortgage if any, mentioned in the encumbrance certificate for the last 13 years	**Yes proposed mortgageable property is free from all encumbrances.** 1.Search receipt no. 20202101002744 dated 06.03.2020 for period of 2020 to 2020.
	i. The period covered under Encumbrance Certificate issued by the sub-Registrar of Assurances/search made in the records/Registers of the office of sub-Registrar of Assurances.	**1.**Search receipt no. 20202101002744 dated 06.03.2020 for period of 2020 to 2020.
	ii. Search in respect of companies registered under the Companies Act, 1956	**Not applicable**
7	Whether Urban Land Ceiling Clearance is required to be obtained before the mortgage is created. If the ULC clearance has been obtained for creating the mortgage in favour of the Bank, please mention the number and date of the proceedings.	Urban Land Ceiling clearance is not required for creation of mortgage.
8	Whether permission for conversion of lands from Agricultural use to residential/commercial use is obtained wherever necessary. If applicable, state the reference of the proceedings	Yes with **Conversion Order No. 859-61 dt. 22.08.2013.**
9	If the property sought to be mortgaged is agricultural lands,	Not applicable because proposed mortgageble property is Residential

Scanned with CamSc

!!श्री तिरूपति सांई लॉ चैम्बर!!

GAURAV PALIWAL
Advocate
B.Com., LL.B., D.LL.
(M) 94130-55473,
97856-14713
gauravpaliwal1980@gmail

ADVOCATE

Office & Residence :-
At Bhilwara :-
35-A, Behind UIT
& Opp. Lions Club, Subhash Nagar,
Bhilwara - Raj. 311001
At Shahpura :-
Mehlon ka Chowk,
Shahpura, Bhilwara
Pin. 311404

Date : 06.03.2020

		Property.
	i. whether the land is within the ceiling limit, fixed as per the concerned State Land Reforms Law in force	Not applicable because reason given in pera no. 09.
	ii. whether taking as collateral security for non-agri purposes is possible	Not applicable because reason given in pera no. 09.
10	Whether from the documents produced, there exists any pending litigation with respect to the property offered as security. If yes, please furnish details.	**There is no process to trace any litigation is pending in respect of subject proposed mortgageble property.**
11	In case of Partition Deeds,	Not applicable because there is no partition deeds is here.
	i. whether the same is registered under the Law for time being in force and original thereof if available for deposit	Not applicable because reason given in pera no. 11.
	ii. in case original is not available and the partition deed is made in more than one copy at the time of registration duly signed by all executants, whether (a) to get an affidavit/ declaration from the holder of the original partition deed confirming the availability with him and the original not deposited with anybody as security over the share of the prospective mortgagor (b) the shareholder or predecessor in title have been permitted to treat their copy of the partition deed as original for their share	Not applicable because reason given in pera no. 11. Not applicable because reason given in pera no. 11. Not applicable because reason given in pera no. 11.
12	In case of inherited property, whether the family genealogy ascertained and flow of title considered in the light of such genealogy bearing in mind the provisions of succession laws applicable to the parties. The genealogy must be sworn to by means of an affidavit by the party/parties.	Not applicable because property belongs to individuals and it is self acquired property.
13	In case the mortgage is sought to be created by agent under power of Attorney, please state whether	Not applicable because mortgage is not created by POA holder here.
	a. The Power of Attorney is registered	Not applicable because reason given in pera no. 13.
	b. It authorises the Agent to deposit the title deeds for creation of mortgage over the properties of the principal for the loan to be given to the prospective borrower.	Not applicable because reason given in pera no. 13.
	c. Whether Power of Attorney empowers the PA holder to borrow on behalf of the principal.	**Not applicable because reason given in Pera no.13.**
14	Whether up-to-date tax/cist receipts have been verified and it is ensured that there are no arrears of land/Municipal Taxes, as the case may be, over the property	There are no tax receipt is available here.
15	In case of devolution of property by a will, whether the will has been probated or letter of administration is obtained.	No there is no will here in property chain documents.
16	i. Whether the title deed under which mortgager acquired title and parent title deeds are available in original.	**Yes**
	ii. In case the property purchased by mortgager is portion of larger extent of property, whether availability of original parent documents confirmed.	**Not Applicable Because Complete Entire Araji No. 516 & 837/506, Measuring 45725.44 Sq. Ft., Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh is Mortgaged Here.**
17	If owner is a company, Partnership Firm, Trust, or other legal person, what are the documents to be obtained to create a valid mortgage (in terms of Memorandum and Articles of Association, Partnership Deed, Trust Deed or rules or bye laws)	Yes Owner is Company and Memorandum and Articles of Association is Obtained Here.

Scanned with CamSc

!!श्री तिरूपति सांई लॉ चैम्बर!!

GAURAV PALIWAL
Advocate
B.Com., LL.B., D.LL.
(M) 94130-55473,
97856-14713
gauravpaliwal1980@gmail

ADVOCATE

Office & Residence :-
At Bhilwara :-
35-A, Behind UIT
& Opp. Lions Club, Subhash Nagar,
Bhilwara - Raj. 311001
At Shahpura :-
Mehlon ka Chowk,
Shahpura, Bhilwara
Pin. 311404

Date : 06.03.2020

18	If property/ies to be mortgaged is/are flat/ apartment in residential or commercial complex, how far independent title is ensured and how the enjoyment of common areas and facilities are ensured to the flat owner (mortgagor);	Not applicable because proposed mortgageble property is Residential Property.
	a. What are the documents of title available for creating mortgage?	Not applicable because reason given in pera no. 18.
	b. List out other Documents /records to be taken from builder/owners and their Bankers.	Not applicable because reason given in pera no. 18.
19	Whether search is made in the registers and the records maintained in the office of Collector and / or Revenue authorities/Municipal Corporation/ Town and Planning Dept and the Civil Court (whichever is applicable) to ensure	**Search is made at sub registrar office at Chittorgarh.**
	a. necessary consent of Civic Body or authority to transfer the property was obtained,	**NOC is required from Municipal Council Chittorgarh in favour of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.**
	b. No litigation in respect of the property to be mortgaged is pending before any Forum	YES
	c. Identity of the property has been established and there are no circumstances which would create doubts or suspicions, e.g., any material document is alleged to be lost or any document bears any marks or endorsement indicative of having been earlier tendered in evidence in a Court or produced as surety	YES
	d. Whether any Revenue Authority attachment / Statutory dues attachment / court attachment is reflected.	NO
	e. Whether certified copy of the title deeds and parent document tracking back to at least last 13 years from the title document are obtained from the Sub-Registrar's office by the panel advocate and compared with the original one submitted by the borrower for the LSR for its correctness.	**Search Was Made for 13 years.**
	f. Whether 'No objection Certificate' and other documents issued by Builders or Other Organizations / Department/ Institutions are carefully examined for their genuineness.	Not applicable
20	If the property is a superstructure like building, house, flat, factory, shed etc.,	**Proposed Mortgagable Property is Vacant Plot So Construction Permission Is Required IF Construction Is Made On It.**
	i. Whether it is located/ proposed to be located in an approved lay out	**Yes**
	ii. Whether the building is constructed/ proposed to be constructed as per the plan approved by the competent authorities (Corporation, Municipal Council, Cantonment Board etc.)	**Yes**
	iii. Whether the plan is approved subject to any condition if so what are the conditions and whether the conditions have been complied with	**Not Applicable**
	iv. Whether superstructure is assessed to Tax (in case of ready built superstructure)	**Not applicable**
	v. Whether clearance /license/permit has to be obtained from authorities constituted under Special Acts like Environment Protection Act 1986, The Air Crafts Act 1934 etc and if so whether the same has been obtained. (If any conditions are stipulated while giving clearance/licence/permit the same has to be mentioned in the report. The report should also mention whether the condition has been complied)	**Not applicable**
21	If the flat is owned/controlled by society, specify special requirements to be taken	Not Applicable because subject proposed mortgagable property is Residential Plot
22	If the property is acquired from Govt/local authorities, whether the conveyance deeds are verified with Government records as to its genuineness and whether executed by competent authority.	Not applicable because subject property is not acquired by govt/local authority.
IV	**Opinion of Creation of Mortgage**	**By depositing of original and certified copy of Title deeds of Araji No. 516 & 837/506, Measuring 45725.44 Sq. Ft., Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh equitable mortgage can be created by here.**

Scanned with CamSc

!!श्री तिरूपति सांई लॉ चैम्बर!!

URAV PALIWAL
Advocate
B.Com., LL.B., D.LL.
(M) 94130-55473,
97856-14713
gauravpaliwal1980@gmail

ADVOCATE

Office & Residence :-
At Bhilwara :-
35-A, Behind UIT
& Opp. Lions Club, Subhash Nagar,
Bhilwara - Raj. 311001
At Shahpura :-
Mehlon ka Chowk,
Shahpura, Bhilwara
Pin. 311404

Date : 06.03.2020

23	Whether the mortgage by deposit of original title deeds is possible on the strength of the title deeds scrutinised. If so, the list of documents to be deposited for creation of equitable mortgage over the property offered as security. The person (s) who shall deposit the title deeds with the bank may be stated.	
	M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd shall deposit following documents mentioned below in this table as in nature mentioned. 1. **Copy of Jamabandi of Araji No. 837/506 for Samvat 2066 to 2069 dt. 11.10.2019.** 2. **Copy of Jamabandi of Araji No. 516 for Samvat 2066 to 2069 dt. 11.10.2019.** 3. **Copy of Conversion Order No. 859-61 dt. 22.08.2013.** 4. **Copy of Jamabandi of Araji No. 516 for Samvat 2070 to 2073 in favour of Municipal Council, Chittorgarh.** 5. **Copy of Jamabandi of Araji No. 837/506 for Samvat 2070 to 2073 Dated 09.10.2019 in favour of Municipal Council, Chittorgarh.** 6. **Copy of Approved Layout Plan by Asstt. Town Planner Municipal Council, Chittorgarh dt.16.05.2019 of Araji No. 516 & 837/506.** 7. **Copy of Affidavit Cum Declaration of Mr. Nirmal Singh Rathore & Mr. Lokendra Singh Chouhan.** 8. **Copy of Affidavit Cum Declaration of Mr. Bheru Lal Gameti.** 9. **Original Sale Agreement dt.17.06.2019 executed by Mr. Nirmal Singh Rathore, Mr. Lokendra Singh Chouhan & Mr. Bheru Lal Gameti in favour of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.** 10. **Copy of Receipt No. 701/008 dt.24.12.2019.** 11. **Memorandum and Article of Association of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.** 12. **Certified Copy of Resolution of Board of Directors of M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. regarding creation of Mortgage.**	
24	If the equitable mortgage by deposit of title deeds is not possible, can there be a simple (registered) mortgage. If so, list out the documents to be held with the bank in addition to the registered mortgage deed.	**Araji No. 516 & 837/506, Measuring 45725.44 Sq. Ft., Situated at Village Segwa, Tehsil and Distt. Chittorgarh equitable mortgage can be created by depositing of title deeds available here.**
25	Any other opinion on simplified procedure/remission of stamp duty for creation of charge over agricultural /other properties in favour of Commercial Banks as in some states like U.P. Karnataka etc.	**Not required**

I certify that Sri/Smt./Messrs M/s Choudhary Infraheight Pvt. Ltd. has/ have a valid clear, absolute, good, perfect and marketable title to the property/ies shown above and the title deeds to the property concerned being original and not duplicate or fake. I hereby certify that the actual search was conducted on the date of this search certificate mentioned above. This legal opinion has been given without any interest direct or indirect after verifying all the necessary relevant papers, Xerox copy of which is returned back duly authenticated.

Place : Bhilwara
Date : 06.03.2020

(GAURAV PALIWAL)
(Advocate)
(Legal Adviser to the Bank)

Encl. :-

Scanned with CamSc

CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD

Nagar Prishad Patta Deatail As Per Patta

Annexure- A

Sr.No.	Row No.	Patta No.	Date Of Patta	Plot No.	Plot Area As Per Patta (sq.ft.)
1	15	6044	06-01-20	133	450
2	15	6045	06-01-20	134	444
3	16	6046	06-01-20	137	800
4	16	6047	06-01-20	138	800
5	16	6048	06-01-20	139	800
6	16	6049	06-01-20	140	800
7	17	6050	06-01-20	148	900
8	17	6051	06-01-20	149	900
9	17	6052	06-01-20	150	900
10	17	6053	06-01-20	151	900
11	17	6054	06-01-20	152	900
12	18	6056	06-01-20	156	800
13	18	6057	06-01-20	157	900
14	18	6058	06-01-20	158	900
15	18	6059	06-01-20	159	900
16	18	6060	06-01-20	160	900
17	20	6061	06-01-20	167	900
18	20	6062	06-01-20	168	900
19	20	6063	06-01-20	169	900
20	20	6064	06-01-20	170	830.94
21	20	6065	06-01-20	171	725
22	20	6066	06-01-20	172	798.94
23	21	6067	06-01-20	173	1071.13
24	21	6068	06-01-20	174	1387.36
25	21	6069	06-01-20	175	887.25
26	21	6070	06-01-20	176	866.25
27	21	6071	06-01-20	177	922.5
28	21	6072	06-01-20	178	900
29	21	6073	06-01-20	179	900
30	21	6074	06-01-20	180	900
31	21	6075	06-01-20	181	900
32	5	6076	06-01-20	62	534.1
33	5	6077	06-01-20	63	450
34	5	6078	06-01-20	64	450
35	5	6079	06-01-20	65	450
36	5	6080	06-01-20	66	450
37	5	6081	06-01-20	67	620.4
38	6	6082	06-01-20	68	781.3
39	6	6083	06-01-20	69	450
40	6	6084	06-01-20	70	450
41	6	6085	06-01-20	71	450
42	6	6086	06-01-20	72	450

MOOLCHAND SHARMA
Advocate
87, Vardhman Colony,
Gali No. 8, BHILWARA-311001
Ph. 01482-229707, M.9829008086

Scanned by CamScanner

43	6	6087	06-01-20	73	534.1
44	7	6088	06-01-20	74	534.6
45	7	6089	06-01-20	75	540
46	7	6090	06-01-20	76	540
47	7	6091	06-01-20	77	540
48	7	6092	06-01-20	78	540
49	7	6093	06-01-20	79	737.9
50	7	6094	06-01-20	80	584.3
51	8	6095	06-01-20	81	894.3
52	8	6096	06-01-20	82	540
53	8	6097	06-01-20	83	540
54	8	6098	06-01-20	84	534.6
55	15	12.5%	06-01-20	131	740.5
56	15	12.5%	06-01-20	132	450
57	16	12.5%	06-01-20	135	1103.7
58	16	12.5%	06-01-20	136	800
59	17	12.5%	06-01-20	153	900
60	17	12.5%	06-01-20	154	1059.4
61	18	6099	06-01-20	155	1235.7
Total					**45668.27**

13/2/2020

MOOLCHAND SHARMA
Advocate
87, Vardhman Colony,
Gali No. 8, BHILWARA-311001
Ph. 01482-229707, M.98290-08086

4

Scanned by CamScanner

(7)

ज्ञान जगदीशाय स्टाम्प



शपथ पत्र

हम निर्मल सिंह पिता श्री बलवीर सिंह राठौड, श्री लोकेन्द्र सिंह पिता श्री मोती सिंह चौहान शपथ पूर्वक कथन करते हे कि हमारी राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी संख्या 837/506 रकबा 0.48 हैक्टेयर है जिसकी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ पत्रावली नगर परिषद में लगा रखी है जिसकी 90--ए होकर आबादी नगर परिषद के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के पट्टे चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड सुभाष नगर भीलवाडा के नाम से जारी कर दिये जावे तो हमे कोई आपत्ती नही है।

उक्त भूमि में किसी प्रकार का वाद–विवाद नही है, एवं न नही कोई प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त तथ्यों में किसी प्रकार का वाद–विवाद होने पर समस्त जिम्मेदारी हमारी स्वंय की होगी।

दिंनाक :–

Nirmal लोढ़ा/Ker
प्रार्थी

सत्यापन

हम शपथकर्ता हल्फन सत्यापित करतें है कि शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है।

दिंनाक :–

Deponent Sworn and Signed before me and admitted the Contents to be true hence attested.

Nirmal लोढ़ा/Ker
प्रार्थी

Jagdish Chandra Vaishnav
NOTARY
Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रु. 500 HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN K 942143

विक्रय इकरार

श्री निर्मल सिंह राठोड पुत्र श्री बलवीर सिंह एवं श्री लाकेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोती सिंह चौहान निवासी चित्तौड़गढ़ एवं श्री भैरू लाल पुत्र श्री नारू गणेती निवासी चित्तौड़गढ़

विक्रेता प्रथमपक्ष

मेसर्स चौधरी इन्फ्राहाईट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री हृदय लाठ वयस्क निवासी भीलवाड़ा

क्रेता द्वितीयपक्ष

यह है कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य में एक कृषि भुमी जो राजस्व ग्राम सेंथी तहसील व जिला चित्तौड़गढ की आराजी नम्बर 516 एवं 837/500 में स्थित है जो जरिये नियमन पत्र संख्या जिनानि/4628/CTT/ दिनांक 16-05-2019 क्रमांक जिननि/चित्तौड़/2019/68 से कृषि भूमि से अकृषि भूमि में प्रयोजनार्थ नियमन सुदा जिला नगर नियोजन ईकाई चित्तौडगढ द्वारा जारी हूआ है। जिसके अन्तर्गत 45725.44 फीट कं पट्टे जिला नगर नियोजन ईकाई चित्तौडगढ द्वारा जारी किये जाने है इस जमीन का प्रथम पक्ष को विक्रय करने का कानूनी पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

क्रमशः.....

निर्मल सिंह लोकेन्द्र सिंह

For Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.

Director

For Pvt. Ltd.

Director

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

For Chou[illegible]ht Pvt. Ltd.

Director

Scanned by CamScanner

Scanned with CamSca

Scanned by CamScanner

यह कि प्रथमपक्ष को रूपयों की आवश्यकता होने से उसने अंकित मूल्य भूमि 46720.44 वर्गमीटर को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 600 रु. प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से विक्रय किया है। जिसके पेटे द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को एडवान्स पेटे 80,00,000/- रू. नेफा द्वारा दिये है। तथा शेष रकम 4 माह में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देना तय हुआ है। उक्त भूमि का निबाला के पश्चात् भट्टे जारी होने तक का खर्चा प्रथम पक्ष का होगा। 46720.44 वर्गमीटर निम्न वर्णित सम्पत्ति को चीम् खोद जमीन से लेकर आसमानी छत छतूफ एवं अन्दर बाहर की सम्पत्ति अतिरिक्त सहित आज द्वितीयपक्ष को रू. 2,74,24,784/- अंकरे की पर्चेस कीमत पर साफ कीमत हजार रुपये श्री/श्रीमती रू. में विक्रय करना तय किया। चौके पर खाली कब्जा एवं मरम्मतेत्ता कीमत बक्त रजिस्ट्री लेना तय रहा है मुकम्मी शर्ति प्रथम तय भूमि की रजिस्ट्री द्वितीयपक्ष के नाम्ये भाग से करवा देना रजिस्ट्री खर्चा द्वितीयपक्ष का होगा कि यदि निबाला लिखे पर द्वितीय पक्ष द्वारा पेश बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि यह रजिस्ट्री करवाये या नहीं और अंत विक्रय इकरार निरस्त माना जायेगा। उक्त भूखण्ड पर प्रथम के अलावा भार मात्र विवाद से मुक्त है यदि किसी प्रकार का अन्य भार मात्र विवाद या बाकीबात होगी तो उसकी कुलिया सफाई एवं जवाबदेही की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। विक्रय भूमि भू भाग संख्या 03 के चौहद्दी निम्न है-

पूर्व – आ.सं. 766/516

पश्चिम – आ.सं. 503

उत्तर – 505

दक्षिण – आ.सं. 506

अतः यह विक्रय इकरार प्रथम पक्ष ने अपनी प्रसन्नता से बिना जोर दबाव लोभ दबाव परिवार की सहमति से स्टाम्प कीमत 500/- किता 1 ए 1 अतिरिक्त शीत लेकर मुल किता 2 पर लिखा दिया सो सही सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

निर्मल सोलेन्द्र सिंह
हस्ताक्षर प्रथम पक्षीय

गवाह 1. हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
For Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.
Director

निर्मल सोलेन्द्र सिंह
हस्ताक्षर प्रथम पक्षीय

गवाह 2. हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
For Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.
Director

Identified By
Me

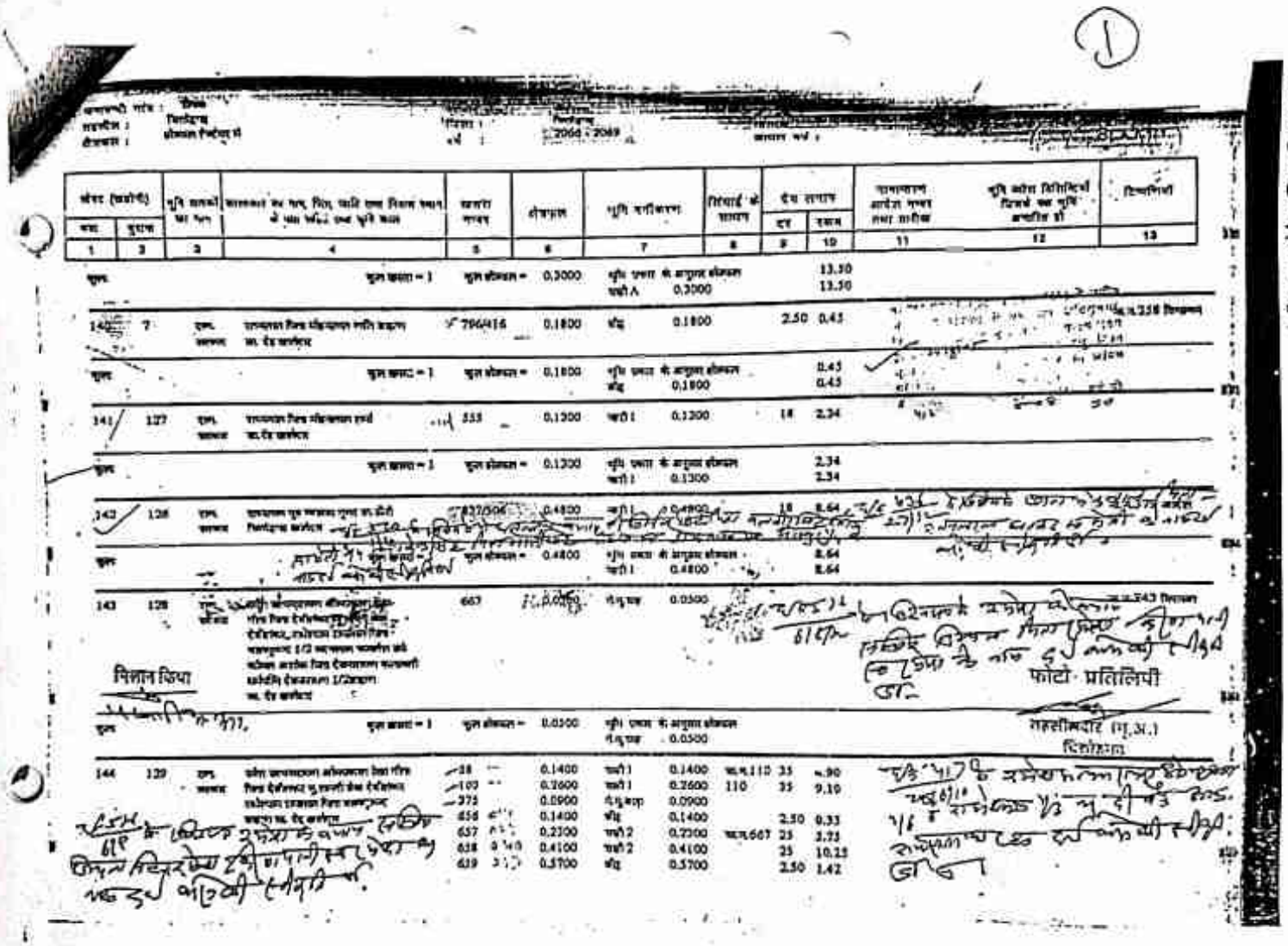
Signature Attested
NOTARY PUBLIC
DHILWARA
17/6/19

Date 17/6/19
Deponent Sworn and Signature before me and Admitted contents to be true Hon'ble
17/6/19

For C

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



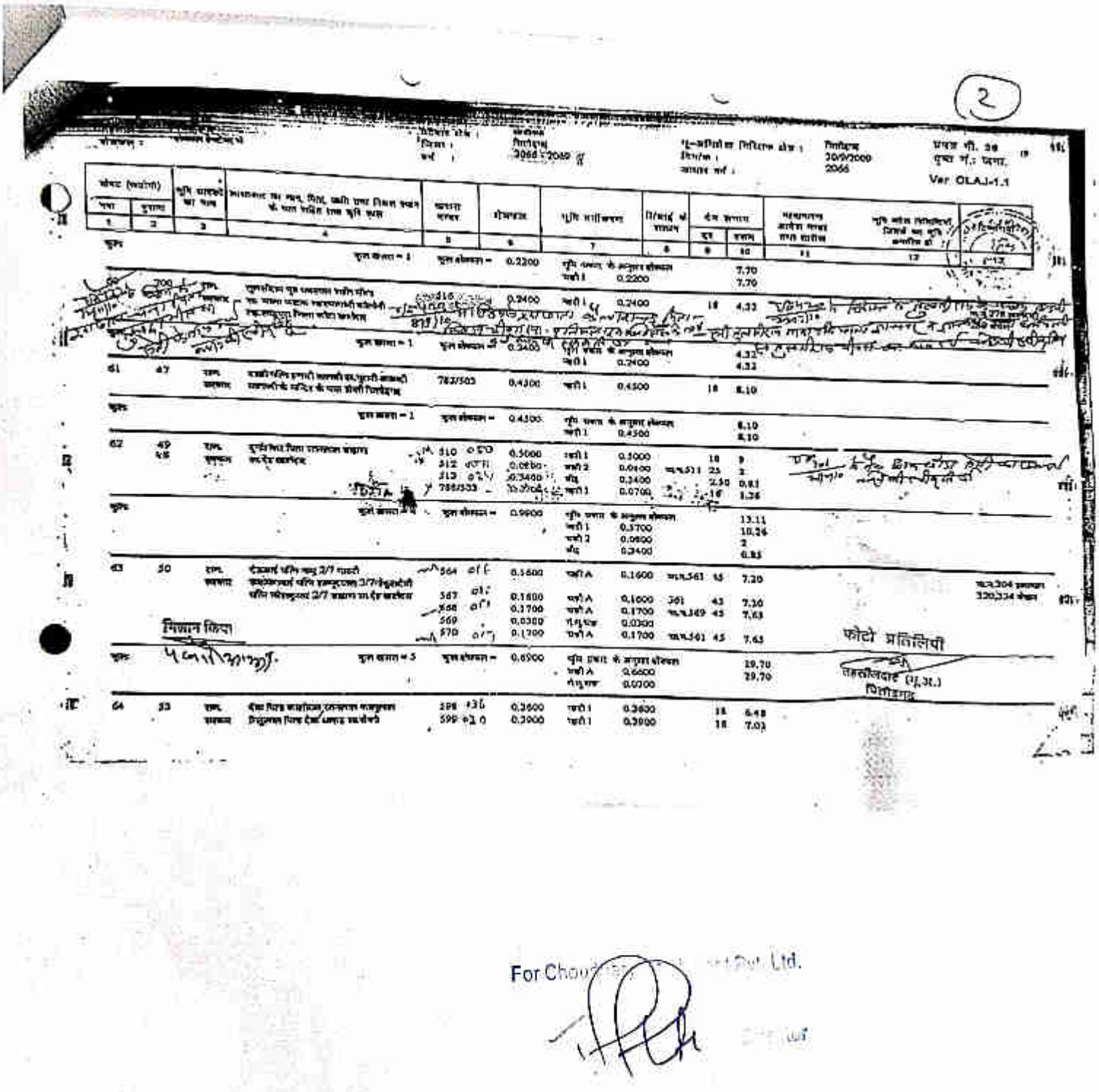
खसरा (खतौनी)		भूमि वाले का नाम	आकार का वर्ग, जिस जाति द्वारा जिसका प्रबन्ध है उसका नाम और भूमि का प्रकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	दैय लगान		खानाखराब आदेश नम्बर तथा तारीख	भूमि अदेय डिसिडिन्टों जिनके नाम भूमि आवंटित हो	टिप्पणियाँ
नम्बर	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.3000	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल चाही A 0.3000			13.50 13.50			
140	7	ग्राम, खानाबदोश	रामनारायण जिला मजिस्ट्रेट नगरी बाबूराम ग्रा. दैव आवंटित	796416	0.1800	बंजर	0.1800	2.50	0.45			
कुल			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.1800	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बंजर 0.1800			0.45 0.45			
141	127	ग्राम, खानाबदोश	रामनारायण जिला मजिस्ट्रेट हरनी ग्रा. दैव आवंटित	555	0.1300	चाही 1	0.1300	18	2.34			
कुल			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.1300	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल चाही 1 0.1300			2.34 2.34			
142	128	ग्राम, खानाबदोश	रामनारायण पुत्र स्वामीराम मृत्यु ग्रा. डोटी जिला मजिस्ट्रेट आवंटित	837506	0.4800	चाही 1	0.4800	18	8.64			
कुल			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.4800	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल चाही 1 0.4800			8.64 8.64			
143	128	ग्राम, खानाबदोश	[illegible]	667	0.0500	गैर मुमकिन	0.0500					
कुल			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.0500	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल गैर मुमकिन 0.0500						
144	129	ग्राम, खानाबदोश	[illegible]	38 109 375 656 657 658 659	0.1400 0.2600 0.0900 0.1400 0.2300 0.4100 0.5700	चाही 1 चाही 1 गैर मुमकिन बंजर चाही 2 चाही 2 बंजर	0.1400 0.2600 0.0900 0.1400 0.2300 0.4100 0.5700	110 657	35 35 2.50 25 25 2.50	4.90 9.10 0.33 2.73 10.25 1.42		

For Chou[illegible] Pvt. Ltd.

Director

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner



For Chou[illegible] Ltd.

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

(4)

प्रपत्र पी-2ब (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- रेगवा
पटवार हल्का :- रेगलिया
पू.प्रति.नि. :- जावसपुरा
तहसील :- चित्तौड़गढ
जिला :- चित्तौड़गढ

सम्वत :- 2070-2073
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
खेवटन की किस्म :- हैवटेपर
खाता संख्या नया :- 57
खाता संख्या पुराना :- 60

खातेदार का नाम:-

भगवान पिता नाथू सबेती निवासी मेंती तहसील ना.म.420,423,432,437,612

खसरा संख्या	खेवटन	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा धारण क्षेत्रफल	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
516	0.2400	नहरी 1	0.2400	4.3200	नामा. सं. 612	
कुल खसरे - 1	0.2400		0.2400	4.32		

यह उपबंध केवल पार्टी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
लेख जारी करने की तिथि :- 9-Oct-2019

सत्यप्रतिलिपी
9/10/19
कृते : तहसीलदार
तहसील व जिला-चित्तौड़गढ

For Chowdhary Technologies Pvt. Ltd.

Director

Scanned by CamScanner

(5)

जमाबन्दी (खेसरा/खतौनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-20 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- गेवरा
न्याय पंचा :- गेवरसिंघा
ग.नि.नि. - आमगुरा
तहसील :- बिलाईगढ
जिला :- बिलाईगढ

समय :- 2070 - 2073 ई
भूमि धारण का नाम :- राज.सरकार
खेसरा की उंचाई :- फ्रिगटेयर
साला खेसरा गया :- 99
साला खेसरा पुराना :- 142

धारणकर्ता का नाम:-

श्रीमती बिलाईगढ़ ना.स.710

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
337/506	0.4800	नहरी 1	0.4800	8.6400	नामा. सं. 597, 705	
कुल योग - 1	0.4800		0.4800	8.64		

यह प्रमाण पत्र केवल शासकीय कार्य के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
यह जारी करने की तिथि :- 9-Oct-2019

सत्य प्रतिलिपि
7.10.19
हस्ता. रोजगार सहा.
तहसील बिलाईगढ़

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक :- 22/8/17

श्रीमान् कलेक्टर
तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।

विषय :- राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी नं. 502, 503 भी., 514 भी., 516, 837/506 कुल रकबा 1.64 हेक्टयर भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ भू-आयोग बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, आवेदक श्री रामलाल, देवीलाल, सीता पिता श्री हीरालाल गुर्जर एवं नारायणी, सोसर पत्नी श्री हीरालाल गुर्जर, नारायणीबाई पत्नी श्री हीरालाल 1/2, रामलाल, देवीलाल, सीता पुत्री श्री हीरालाल, नारायणी, सोसर पत्नी श्री हीरालाल, चन्दा पिता श्री तुलछ भील, श्री निर्मलसिंह पिता श्री बलवीरसिंह राठौड़ 3/4, श्री लायेन्द्रसिंह पिता श्री मोतीसिंह चौहान 1/4, निवासी रौंती चित्तौड़गढ़ ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम सेगवा आराजी नं. 502, 503 भी., 514 भी., 516, 837/506 कुल रकबा 1.64 हेक्टयर कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदित भूमि के नगर नियोजन कार्यालय से अनुमोदित प्लान अनुसार एवं तहसील कार्यालय से प्राप्त अभिशंसा के आधार पर राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी नं. 502, 503 भी., 514 भी., 516, 837/506 कुल रकबा 1.64 हेक्टयर कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग की स्वीकृती राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के प्रावधानों के तहत दी गई है।

अतः उपरोक्त आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के नाम आबादी दर्ज कर इन्तकाल फेसल करने का आदेश जारी करावें। फेसल इन्तकाल की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करावें जिससे अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़
दिनांक :- .....

क्रमांक : भूमि/90-ए/13-14/

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ को वास्ते सूचनार्थ।
2. आवेदक श्री रामलाल, देवीलाल, सीता पिता श्री हीरालाल गुर्जर एवं नारायणी, सोसर पत्नी श्री हीरालाल गुर्जर, नारायणीबाई पत्नी श्री हीरालाल 1/2, रामलाल, देवीलाल, सीता पुत्री श्री हीरालाल, नारायणी, सोसर पत्नी श्री हीरालाल, चन्दा पिता श्री तुलछ भील, श्री निर्मलसिंह पिता श्री बलवीरसिंह राठौड़ 3/4, श्री लायेन्द्रसिंह पिता श्री मोतीसिंह चौहान 1/4, को सूचनार्थ।

आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

For Ch... ...t Pvt. Ltd.

...tor

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर परिषद चित्तौड़गढ़

क्रमांक :- भूमि / 2019-20 / 2440 दिनांक :- 28-2-20

प्रबंधक
इंडियन बैंक
शास्त्रीनगर भीलवाडा

विषय :- राजस्व ग्राम सेगवा की आ.सं. 837/506 516, की योजना में ऋण स्वीकृती हेतु

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक **IN Bhilwara B084** : 132:2019–20 दिनांक 25.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी नं. 837/506 एवं 516 की योजना में नगर परिषद द्वारा भूखण्डो के पट्टे जारी किये गये है। भूखण्डो को आप द्वारा रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया जाता है तो नगर परिषद चित्तौडगढ को आपत्ती नही है, परन्तु परिषद द्वारा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न होने के आधार पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत 12.5 प्रतिशत भूखण्डो के पट्टो को योजना में विकास कार्य करवाये जाने के पेटे नगर परिषद द्वारा नियमन नही किंये जाकर रोके गये है।

क्र.सं.	आराजी नं.	रोके गये भूखण्ड सं.	कुल साईज (वर्गफीट)
1	सेगवा आराजी नं. 837/506 516,	भूखण्ड संख्या 131, 132, 135, 136, 153, 154, 74, 84	कुल 6150.66 वर्गफीट

जब भी खातेदार द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विकास कार्य पुर्ण कर लिए जायेगें परिषद द्वारा रोके गए 12.5 प्रतिशत भूखण्डो की नियमानुसार नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौडगढ

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6076

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26. वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सैती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 62–Corner जिसका कुल क्षेत्रफल 534 वर्गफीट 59.33 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **4272/–** रू0 अक्षरे **चार हजार दौ सौ बहत्तर रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

उप खंड अधिकारी चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकास उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **5340/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2136/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **3204/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेंती
खसरा नं. 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 59.33 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
59.33 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राजेशकुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री नेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी- सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री राजेशकुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

उप अभियंता चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

M 946873

राजस्थान RAJASTHAN

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उप पंजीयक

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियमन राशि ..... 5340/- .....

यह स्टाम्प पट्टा सं. 6076 ..... के साथ

संलग्न है। श्री ..... पिता/पति ..... की रा.ग्रा. ..... की आराजी 516 में से 59.33 वर्ग गज कृषि भूमि का समपरिवर्तन कर आवासीय नियमन / आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 16767

आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लायसेंस हेड. सं. 23/2017
आजाद नगर, गीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:13 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003153

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003225
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	97
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	577
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	116
कुल योग	990

202001101003153

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No :-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9612/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9612/- पूर्व में ——— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003153

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 36 क्रम संख्या 202003101101746 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 419 से 426 पर चस्पा किया गया ।

202001101003153

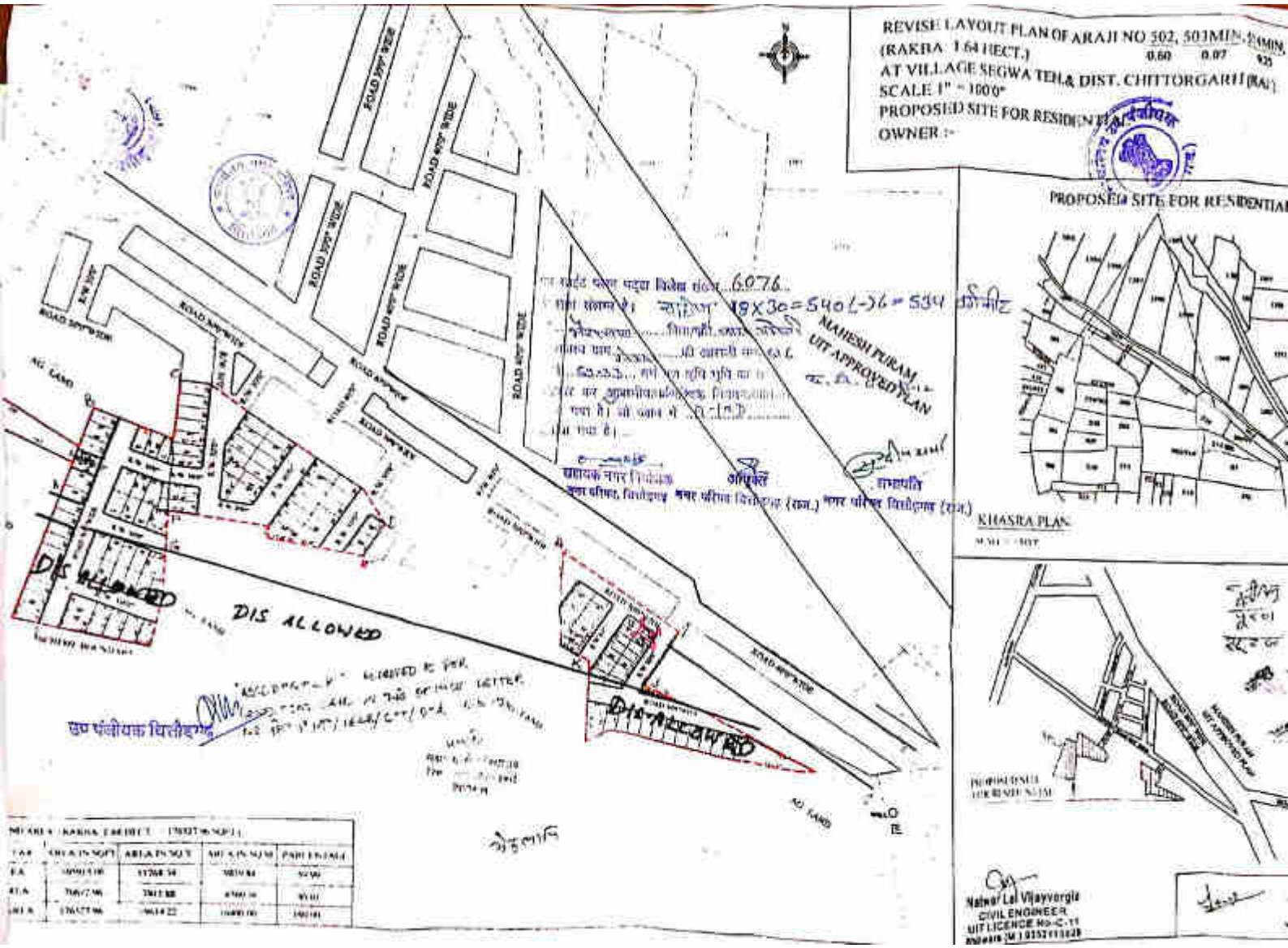
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:15 PM

Fee Receipt No	:	202002101003226	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL.	Document S. No.	:	202001101003153
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 9612	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 97	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 116	Stamp Duty	:	₹ 577
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 990
			Total Amount	:	₹ 990

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877215 ₹ 390

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6077



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष **2020** के माह **फरवरी** के **24** वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल** पिता **श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को हस्तांतरित यहां तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो प्रयोजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516 रकबा 0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 63** जिसका कुल क्षेत्रफल **450 वर्गफीट 50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिक्षेत्र में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस** रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियमों के अन्तर्गत प्रदान की जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में निर्धारित निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारित नियमानुसार आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जायेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि **4050/-रू0** की 40 प्रतिशत राशि **1620/-रू0** भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एवं 60 प्रतिशत **2430/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं: 516राज.

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 24 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री मुरलीकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडाड़ भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री मुरलीकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर भीलवाड़ा

साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडाड़ भीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946895

नियमन राशि ..... 40501- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ..6077..... के साथ

संलग्न है। श्री ..... पिता/पति नाथू जमेती ..... की रा.ग्रा. सेगवा की आराजी S16 में से 50 वर्ग गज कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन / आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 26789
आयुक्त नगर परिषद चित्तोड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा- लां. नं. 23/2017
आजाद नगर - भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:15 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003154

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003226
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003154

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 7290/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003154

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other rule and rules in favour of Khaterdar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में

पृष्ठ संख्या 37 क्रम संख्या 2020031011017247 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के

पृष्ठ संख्या 427 से 434 पर चस्पा किया गया ।

2020011010031154

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khaterdar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

REVISE LAYOUT PLAN OF ARAJI NO 502, 503MIN, 514MIN, 837/506,516
(RAKBA 1.64 HECT.) 0.60 0.07 0.25 0.48 0.24
AT VILLAGE SEGWA TEH & DIST. CHITTORGARH (RAJ.)
SCALE 1" = 100'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

KHASRA PLAN

ROAD 30'0" WIDE

ROAD 40'0" WIDE

AG. LAND

DIS ALLOWED

MAHESH PURAM
(UIT APPROVED PLAN)

सहायक नगर नियोजक
नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप अभियंता

PARTICULAR	AREA IN SQ.FT.	AREA IN SQ.M.	AREA IN SQ.M.	PARTICULAR
PLOT AREA		11768.34		
ROAD AREA		7843.88		
TOTAL AREA				

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE No-C-11
Bhilwara (M.) 9352115629

SIGNATURE

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:11 PM

Fee Receipt No	:	202002101003226	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003154
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 873**
			Total Amount	:	**₹ 873**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877186 ₹ 273

17/3/2020

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner



कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6078

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष **2020** के माह **फरवरी** के **26** वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू** गमेती **निवासी– सैती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का [illegible] भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है [illegible] आवासीय राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **518** रकबा **0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 64** जिसका कुल क्षेत्रफल **1250** वर्गफीट **50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-वह है अनुमति दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियम में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रारम्भ उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या अन्य आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षीय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षीय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि **4050/-रू0** की 40 प्रतिशत राशि **1620/-रू0** भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **2430/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्ये का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : रोपा
खसरा नं. [illegible]
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित सेजकल वर्गगज/मीटर :
50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

साक्षी :-
नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भैरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – [illegible]



नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

भैरूलाल

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946894

नियमन राशि ..... 4050/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6078 ..... के साथ
संलग्न है। श्री [illegible] .....
पिता/पति [illegible] की रा.या स्वेताबा
की आराजी 816 में से 50 वर्ग गज
कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 86786
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस हैड. सां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:13 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003152

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003224
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003152

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़-सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व मैं / मेरे समक्ष / मैं से रु 7290/- पूर्व मैं ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003152

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 35 क्रम संख्या 202003101101745 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 411 से 418 पर चस्पा किया गया ।

202001101003152

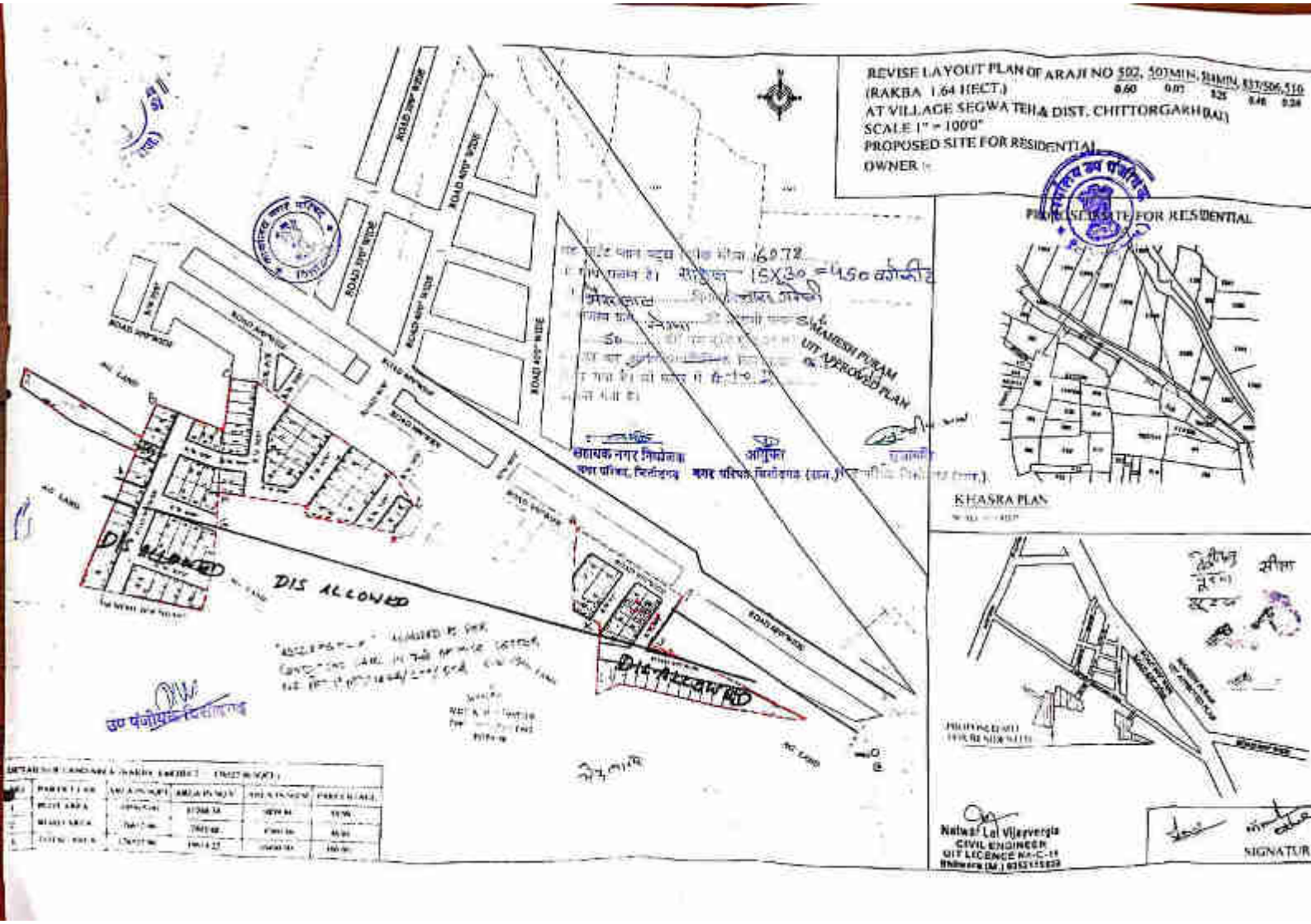
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:09 PM

Fee Receipt No	: 202002101003224	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL	Document S. No.	:	202001101003152	
Address	: - ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0	
Ord-Registration Fee	: ₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	**₹ 0**	
		Other than Cash	:	**₹ 873**	
		Total Amount	:	**₹ 873**	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38827225 ₹ 273 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner



कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6079

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का विनियमन और अवैधता) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को उदीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 65 ब्लॉक कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट 50 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये विवरण में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4050/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेंगेती

खसरा नं: 516

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश

पुत्र श्री सूर्यप्रकाश

व्यवसाय

निवास स्थान सुभाषनगर चित्तौड़

साक्षी भेरूलाल

नाम श्री राहुल

पुत्र श्री मोहनलाल

व्यवसाय

निवास स्थान सोडा चित्तौड़

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नाथू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश

पुत्र श्री सूर्यप्रकाश

व्यवसाय

निवास स्थान सुभाषनगर चित्तौड़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी

नाम श्री राहुल

पुत्र श्री रमेशचन्द्र

व्यवसाय

निवास स्थान सोडा चित्तौड़

भेरूलाल साक्षी





Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946893

नियमन राशि ..... 4050/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6079 ..... के साथ

संलग्न है। श्री भैरूलाल .....

पिता/पति नथनजोगी ... की रा.या सेजावा

की आराजी 316 में से 50 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26787
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:10 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003151

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003223
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003151

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 7290/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रू 7290/- पूर्व मे ——— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003151

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में

पृष्ठ संख्या 34 क्रम संख्या 2020031011101744 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के

पृष्ठ संख्या 403 से 410 पर अंकन किया गया।

2020011010003151

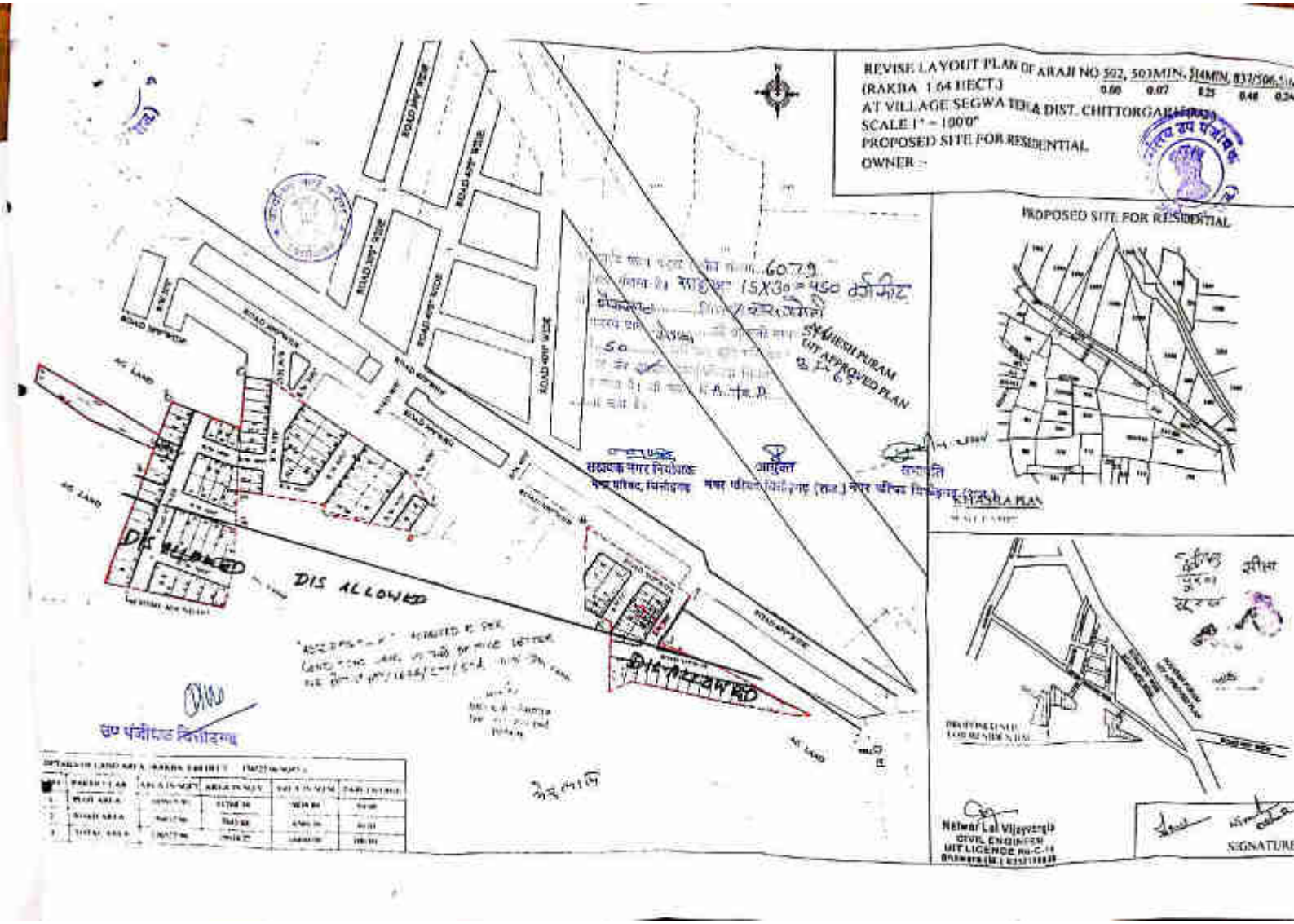
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:12 PM

Fee Receipt No	:	202002101003223	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No	:	202001101003151
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 873
			Total Amount	:	₹ 873

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 36877237 ₹ 273

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

क्रमांक: 6080

कार्यालय नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ (राज.)



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह जनवरी के 24 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भैरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सैंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को उसका वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516** रकबा 0.24 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 66** जिसका क्षेत्रफल **450 वर्गफीट 50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

भैरूलाल

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप संभागीय चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–क के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **4050/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **1620/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

करबे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : [illegible]

खसरा नं. 316

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के चिन्ह की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुधीप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेडार भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुधीप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

उप खनिज चित्तौड़गढ़

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेडार भीलवाड़ा

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946892

50

50

100

नियमन राशि ..... 40501/- ..... वह स्टॉम्प पट्टा सं. 6088 ..... के साथ संलग्न है। श्री ओमलाल ..... पिता/पति नारायण लोहार ..... की स.मा. रूपेजवा की आराजी 516 में से 50 वर्ग गज कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन / आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 16986
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा, लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:10 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:+-, Colony: CHITTORGARH, Area:
CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District:
CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

202001101003150

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003222
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

202001101003150

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:+-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 7290/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:+-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:+-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003150

उप पंजीयक
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 33 क्रम संख्या 202003101101743 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 395 से 402 पर चस्पा किया गया ।

उप पंजीयक, CHITTORGARH

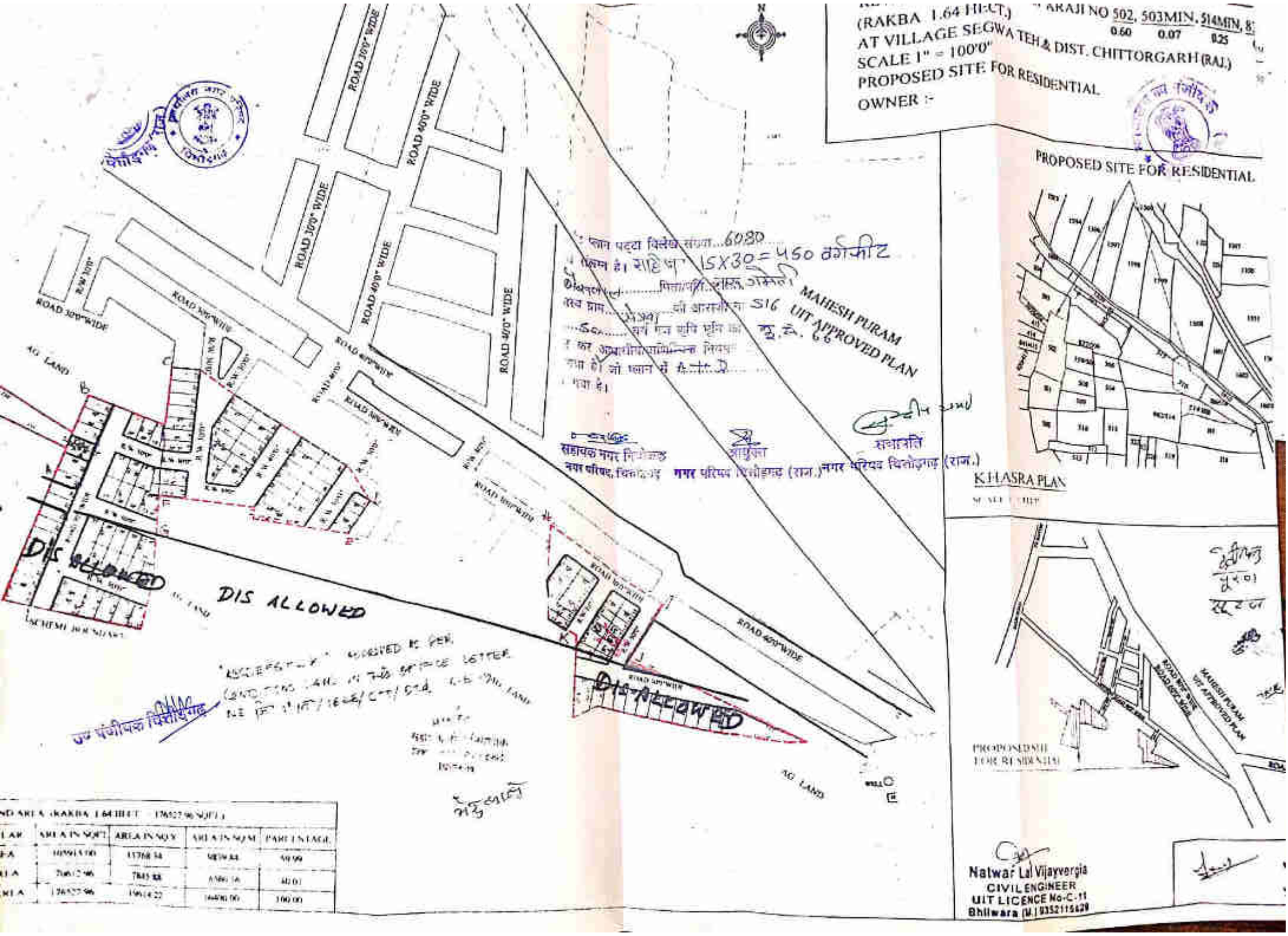
202001101003150

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



AREA IN SQFT.	AREA IN SQ.Y	AREA IN SQ.M	PARTICULARS
10991.00	1376.38	127.84	59.99
7845.88	871.76	80.01	
136527.96	15169.22	1408.00	100.00

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:06 PM

Fee Receipt No	:	202002101003222	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003150
Address	:	+- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 873**
			Total Amount	:	**₹ 873**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A ₹ 600 # e-Gras Challan 38877245 ₹ 273

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6081

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 67 जिसका कुल क्षेत्रफल 646.20 वर्गफीट 71.8 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 4652/– रू0 अक्षरे चार हजार छः सौ बावन रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीनियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **5815/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2326/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **2466/–** रू0 रसीद नं. **701/06** दिनांक **24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

करबे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : [illegible]
खसरा नं: 518
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 71.8 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
71.8 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री सूर्य नारायण
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री सूर्य नारायण
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान झीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946891

नियमन राशि ..... 52151- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ....6081..... ... के साथ

संलग्न है। श्री शोभालाल .....

पिता/पति भोरा जाति..... की रा.ग्रा सेगावा

की आराजी 516 में से 7.1.8. वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये द स्टाम्प नं. 26725
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लाईसेंस हेड. सं. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:07 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003149

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003221
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	105
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	629
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	126
कुल योग	1060

202001101003149

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 10467/- पूर्व मै / मेरे समक्ष / मै से रु 10467/- पूर्व मै ——— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिये गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003149

उप खंडीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 2020031011101742 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 387 से 394 पर चस्पा किया गया ।

202001101003149

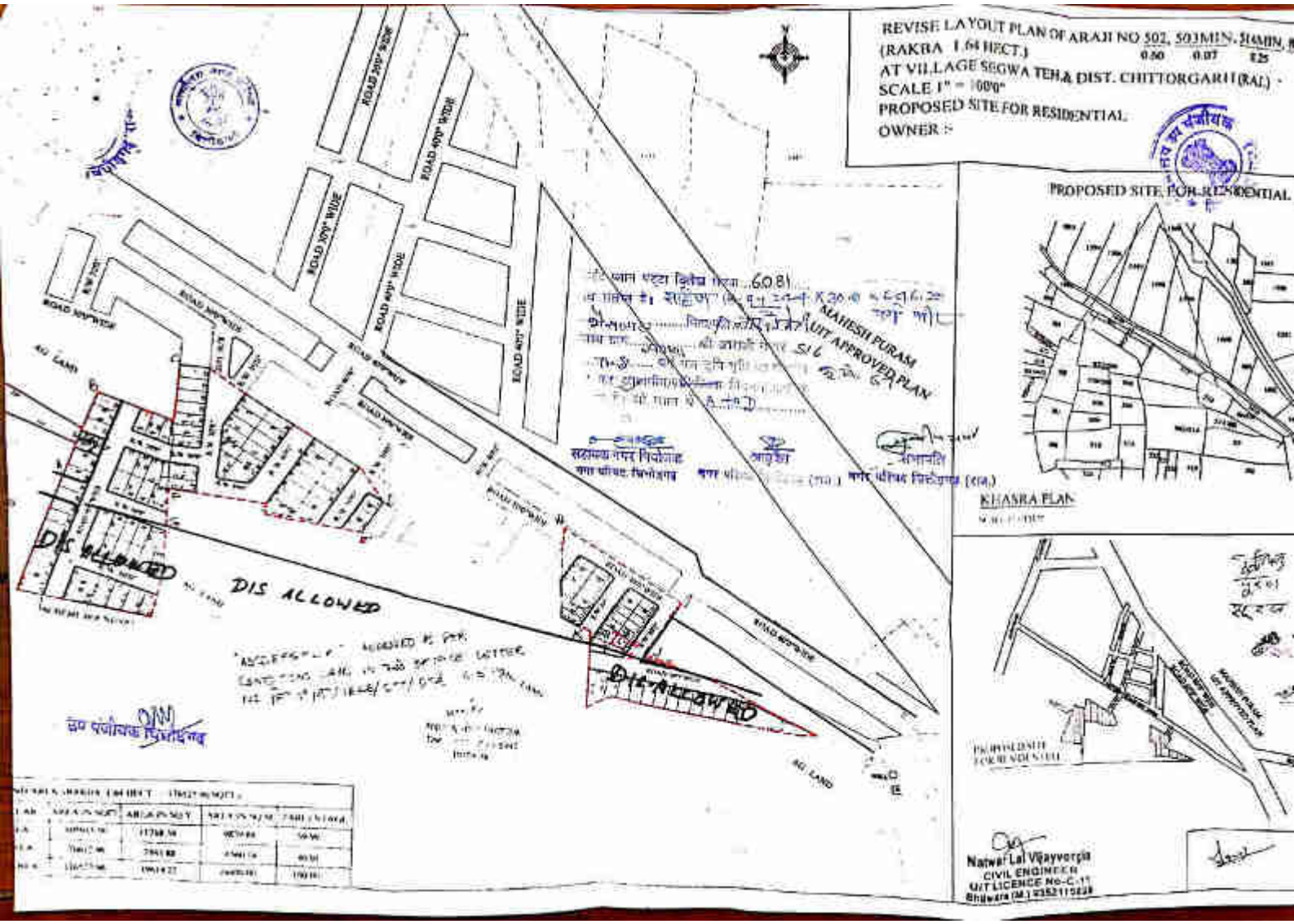
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:09 PM

Fee Receipt No	:	202002101003221	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003149
Address	:	-,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 10467	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 105	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 126	Stamp Duty	:	₹ 629
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 1060
			Total Amount	:	₹ 1060

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877256 ₹ 460

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6089

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री भैरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को उसमें वर्णित वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजनाबद्ध आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 68 जिसका कुल क्षेत्रफल 855 वर्गफीट 95 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियन (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6156/– रू0 अक्षरे छः हजार एक सौ छप्पन रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से मुक्त नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम, शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 7695/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 3078/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 4617/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

सजरा नम्बर : सेगवा

खसरा नं : 516

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 95 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

95 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी —

नाम श्री राकेशकुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान जीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान जीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – [illegible]



नाम श्री राकेशकुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान जीलवाड़ा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री राहुल
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान जीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner



राजस्थान RAJASTHAN

M 946890

नियमन राशि ..... 76951- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6082 ..... के साथ
संलग्न है। श्री बोरूलाल .....
पिता/पति नारू जगेती ..... की रा.पा. सेगावा
की आराजी 516 में से 95 वर्ग गज
कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 16784
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर - भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:07 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003148

हस्ताक्षर उप. पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003220
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	142
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	848
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	170
कुल योग	1360

202001101003148

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 14121/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 14121/- पूर्व में ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003148

उप खण्ड अधिकारी
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 31 क्रम संख्या 202003101101741 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 379 से 386 पर चस्पा किया गया ।

202001101003148

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban Areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

REVISE LAYOUT PLAN OF ARAJI NO 502, 503MIN, 514MIN, 8
(RAKBA 1.64 HECT.) 0.60 0.07 0.25
AT VILLAGE SEGWA TEH.& DIST. CHITTORGARH (RAJ.)
SCALE 1" = 100'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

ROAD 30'0" WIDE
ROAD 40'0" WIDE
AG LAND
DIS ALLOWED
MAHESH PURAM
UIT APPROVED PLAN
KHASRA PLAN
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

	AREA IN SQ.FT.	AREA IN SQ.Y.	AREA IN SQ.M.	PARCENTAGE
		11768.34		59.99
		7845.88		40.01
		19614.22		100.00

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE No-C-11
Bhilwara (M.) 9352115829

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:03 PM

Fee Receipt No	: 202002101003220	Receipt Date	: 17/03/2020
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	: 202001101003148
Address	: -,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 14121	Evaluated Value	: ₹ 0

Ord-Registration Fee	: ₹ 142	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 170	Stamp Duty	: ₹ 848
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1360
		Total Amount	: ₹ 1360

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877292 ₹ 760

17/3/20

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner



कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6083

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 69 किस्म फ्लैट क्षेत्रफल 450 वर्गफीट 50 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे के परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तो और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे तीन हजार दो सौ चालिस रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

भेरूलाल

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में निर्दिष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ [illegible] बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4050/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

करने का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : जगंती

खसरा नं. [illegible]

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके परीक्षण से इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) ने हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री रोकेश कुमार
पुत्र श्री सूरजप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर चित्तौड़

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न. प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री रोकेश कुमार
पुत्र श्री सूरजप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर चित्तौड़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री राहुल
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946889

E1 JAN

50
50
100

नियमन राशि ..... 40501- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6083 ..... के साथ
संलग्न है। श्री मैसर्स .....
पिता/पति ..... की राज्य .....
की आराजी ..... में से 50. वर्ग मत्र
कृषि भूमि का समग्र स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा दिनांक की तकमील हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप प्रभारी चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 86783
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:04 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003147

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003219
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003147

CHITTORGARH उप पंजीयक,

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 7290/- पूर्व में ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003147

उप प्रबंधक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 30 क्रम संख्या 202003101101740 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 371 से 378 पर चस्पा किया गया ।

202001101003147

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

REVISE LAYOUT PLAN OF ARAJI NO 502, 503MIN, 514MIN, 8
(RAKBA 1.64 HECT.) 0.60 0.07 0.25
AT VILLAGE SEGWA TEH& DIST. CHITTORGARH (RAJ.)
SCALE 1" = 100'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

ROAD 300' WIDE
ROAD 400' WIDE
ROAD 300' WIDE
ROAD 400' WIDE
ROAD 300' WIDE
ROAD 300' WIDE
ROAD 400' WIDE
ROAD 300' WIDE
ROAD 300' WIDE
ROAD 400' WIDE
AG LAND
AG LAND
AG LAND
DIS ALLOWED
DIS ALLOWED
DIS ALLOWED
MAHESH PURAM
UIT APPROVED PLAN

प्लॉट पट्टा विलेख संख्या 6083 ... 45
संलग्न है। साईज 15X30 =
.....निवासित जिला चित्तौड़गढ़
ग्राम ग्राम.....की आराजी नम्बर 516
.....50..... वर्ग गज भूमि का
कर आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण
गया है। जो प्लान में A-B-C-D
ा गया है।

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद, चित्तौड़गढ़

(राज.) नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

"ABCDEFG-A" APPROVED AS PER
CONDITIONS MADE IN THIS OFFICE LETTER
NO. दि.प.नि./1626/CHT/GRD. DT. 19/04/2016

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

KHASRA PLAN

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

MAHESH PURAM
UIT APPROVED PLAN

AR	AREA IN SQFT	AREA IN SQ.Y	AREA IN SQ.M	PARCENTAGE
PA	1059015.00	11768.34	9839.84	59.99
EA	706342.96	7845.88	6560.16	40.01
REA	1765357.96	19614.22	16400.00	100.00

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE No-C-11
Bhilwara (M.) 9352115829

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:07 PM

Fee Receipt No	:	202002101003219	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003147
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 873
			Total Amount	:	₹ 873

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38877301 ₹ 273 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6084



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आपटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516 रकबा 0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 70** जिसका **कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट 50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-25 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित, नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि 4050/-रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/-रू0 भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं. 518

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

अयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री ..... कुमार

पुत्र श्री ..... सुप्रकाश

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... सुभाष नगर चित्तौड़

साक्षी

नाम श्री ..... कुमार

पुत्र श्री .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... चित्तौड़

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

साक्षी

नाम श्री ..... कुमार

पुत्र श्री ..... सुप्रकाश

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... सुभाष नगर चित्तौड़

नाम श्री .....

पुत्र श्री .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान .....

उप खंडीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी





Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946888

50

50

नियमन राशि ..... 4050/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6084/13-20 के साथ

संलग्न है। श्री .....

पिता/पति ..... की रा.या .....

की आराजी S/6 में से 50. वर्ग गज

कृषि भूमि का ..... कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा ..... को तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 86782
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी मंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर - भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:45 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003137

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2020021010003209
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003137

उप पंजीयक
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकार का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age: 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age: 45 Signature

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 7290/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति GAMETI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003137

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 20 क्रम संख्या 202003101101730 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 291 से 298 पर चस्पा किया गया ।

202001101003137

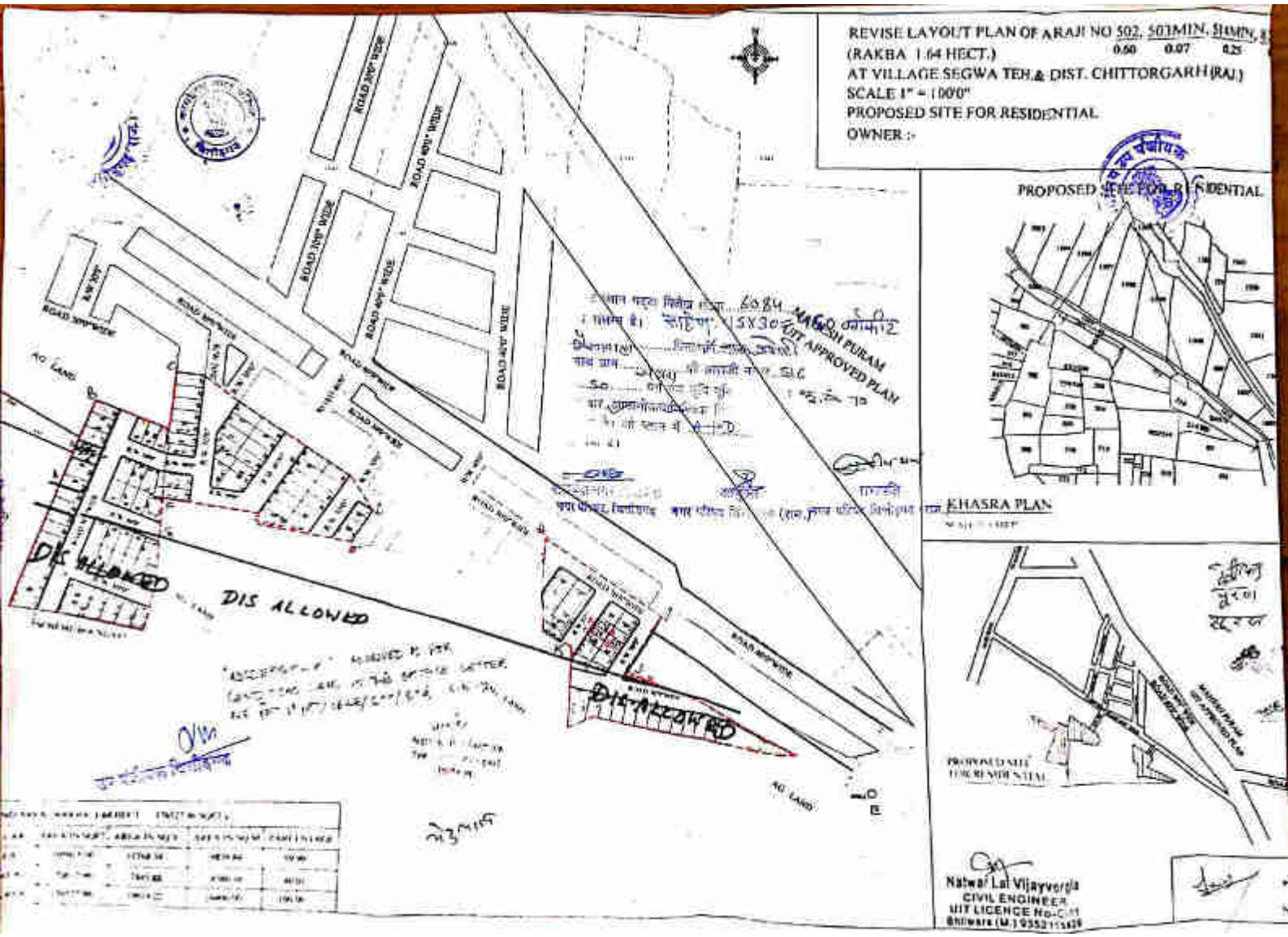
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:46 PM

Fee Receipt No	: 202002101003209	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003137	
Address	: -,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0	
Ord-Registration Fee	: ₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:		₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:		₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:		₹
Surcharge	: ₹ 100	Stamp Duty	:		₹ 500
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:		₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:		₹ 0
Custody	: ₹	Others	:		₹ 0
		Cash Amount Received	:		**₹ 0**
		Other than Cash	:		**₹ 873**
		Total Amount	:		**₹ 873**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 58827423 ₹ 273 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशि

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)



क्रमांक : 6085

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करता है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 71 जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट 50 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस** रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीनियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित बाह्य निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4050/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेरोला
खसरा नं. 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ़ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946887

नियमन राशि ..... 40501- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6085 ..... के साथ

संलग्न है। श्री ओमप्रकाश ....

पिता/पति नाथू गमेती की रा.या खेजला

की आराजी 9/6 में से .50 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 26781
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:42 PM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU

उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202001101003136

हस्ताक्षरित उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003208
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
मुद्रांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003136

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of the [illegible] 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुना [illegible] निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूरे मैं / मेरे समक्ष / मैं से रु 7290/- पूरे मैं ——— पे मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003136

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में

पृष्ठ संख्या 19 क्रम संख्या 202003101101729 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के

पृष्ठ संख्या 283 से 290 पर चस्पा किया गया ।

202001101003136

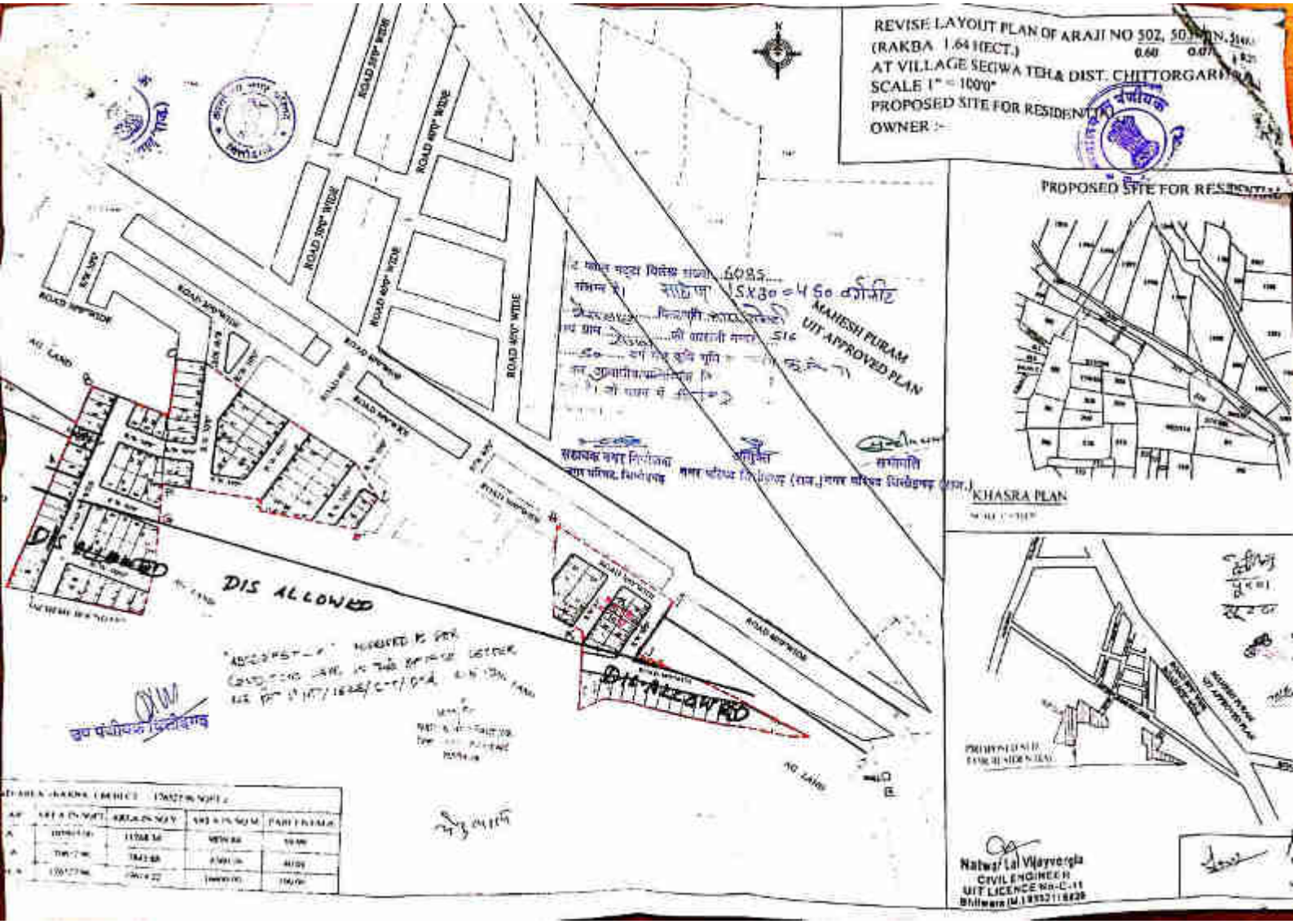
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:40 PM

Fee Receipt No	: 202002101003208	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003136	
Address	: -,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 0	
Ord-Registration Fee	: ₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 873	
		Total Amount	:	₹ 873	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38977454 ₹ 273 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner



कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6086

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवेदन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह **फरवरी** के 24 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भैरूलाल पिता श्री नारू** गमेती निवासी– **सेंती चित्तौड़गढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो कि **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516 रकबा 0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 72** जिसका कुल क्षेत्रफल **450 वर्गफीट 50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये विशिष्टियों अनुसार पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू० अक्षरे तीन हजार दो सौ चालिस रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

उप पंजीयक चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–25 के अनुसार्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गगीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या लीज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4050/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेगोदा
खसरा नं. 218
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 50 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और दहिनी पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुर्यप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भगवानपुरा

साक्षी

नाम श्री भेरूलाल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेंदरा भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी- सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष





नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुर्यप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी

नाम श्री भेरूलाल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेंदरा भीलवाड़ा

साक्षी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946886

नियमन राशि ..... 40501/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ....6086..... के साथ

संलग्न है। श्री ..... पिता/पति ..... की रा.या सेठाला

की आराजी 516 में से 50. वर्ग गज

कृषि भूमि का रूपान्तरण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 36780
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:27 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003135

हस्ताक्षर उप पंजीयक
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003207
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	73
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	100
कुल योग	873

202001101003135

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age :0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of [illegible] Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself, (in favour of male) को पढ़ सुन [illegible] निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 7290/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 7290/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003135

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 मे

पृष्ठ संख्या 18 क्रम संख्या 202003101101728 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के

पृष्ठ संख्या 275 से 282 पर चस्पा किया गया ।

202001101003135

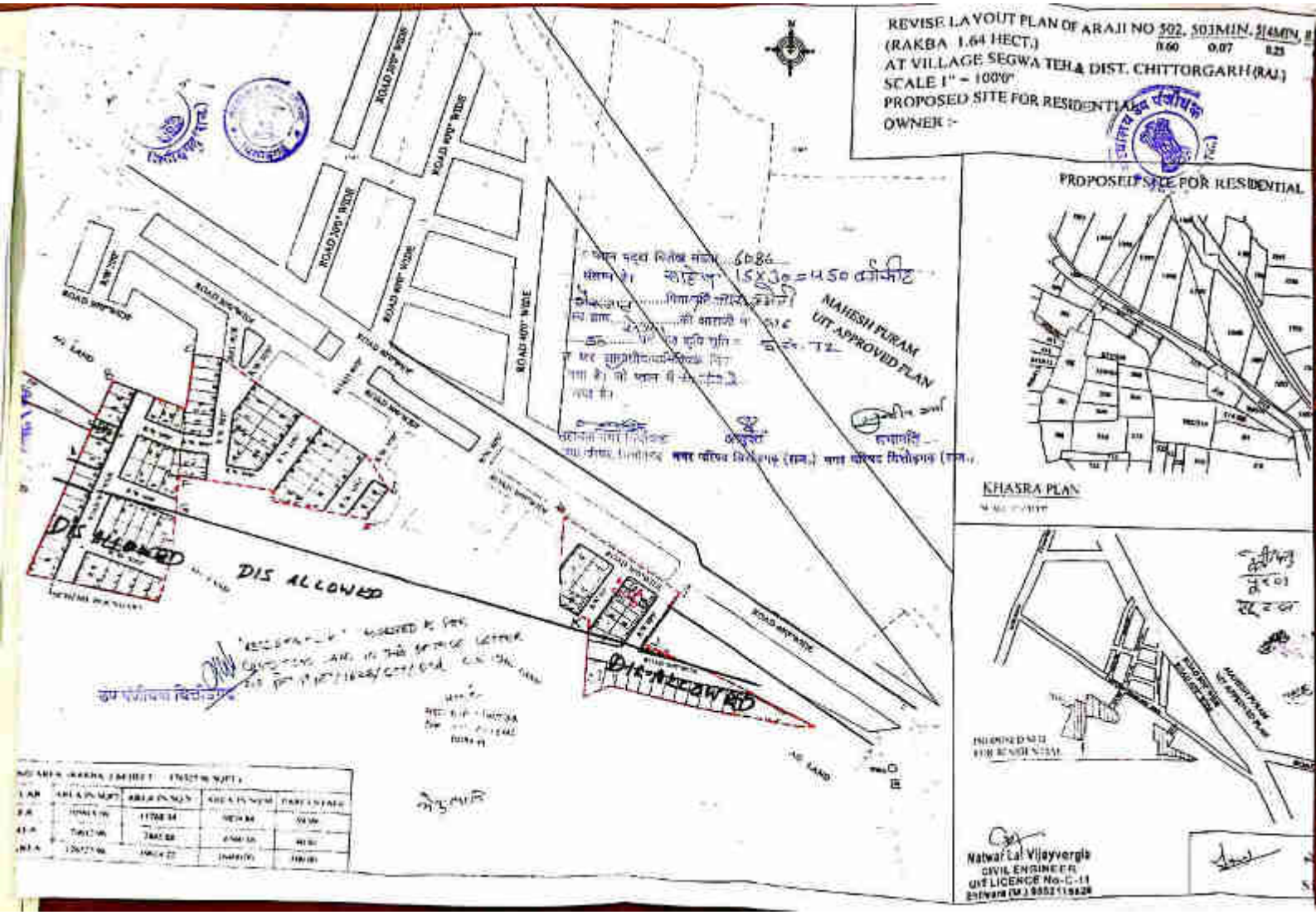
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:43 PM

Fee Receipt No	:	202002101003207	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003135
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 7290	Evaluated Value	:	₹ 71100
Ord-Registration Fee	:	₹ 73	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 100	Stamp Duty	:	₹ 500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 873
			Total Amount	:	₹ 873

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38977446 ₹ 273 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6087

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति और रूपांतरण) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी- खेंती चित्तौड़गढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 73-Corner** जिसका कुल क्षेत्रफल 534 वर्गफीट 59.33 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत दिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **4271/-** रू0 अक्षरे **चार हजार दो सौ इकहत्तर रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कॉलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जायेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **5339/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2135/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **3204/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

खसरा नं. [illegible]

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 59.33 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

59.33 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप मे इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा मे निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) मे हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।



लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी



उप खनीज पट्टा चित्तौड़गढ

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946885

1993 से संशोधित

50

50

योग 100

नियमन राशि ..... 53391/-.....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ....6087..... के साथ

संलग्न है। श्री ओंकारलाल ....

पिता/पति नारू गमेती ..... की रा.या सेवाता

की आराजी 516 में से 59.33 वर्ग गज

कृषि भूमि का गलत प्रकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा संलग्न की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26933-9
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा, लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:02 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003146

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003218
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	97
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	577
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	116
कुल योग	990

202001101003146

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9510/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 9610/- पूर्व मे ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अगूंठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003146

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 202003101101739 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 363 से 370 पर चस्पा किया गया ।

202001101003146

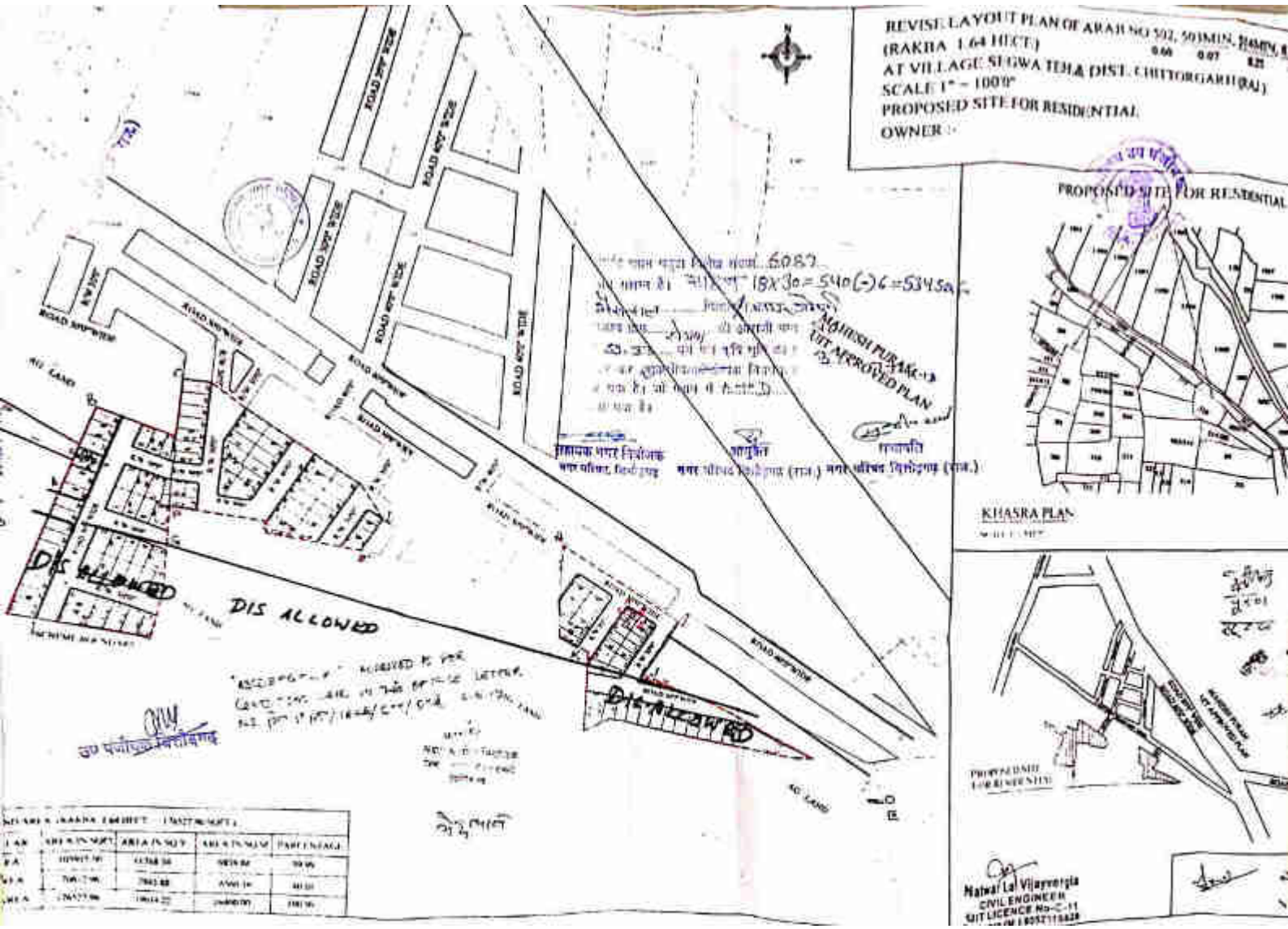
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:00 PM

Fee Receipt No	: 202002101003218	Receipt Date	: 17/03/2020		
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	: 202001101003146		
Address	: - ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9610	Evaluated Value	: ₹ 0		
Ord-Registration Fee	: ₹ 97	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 116	Stamp Duty	:	₹ 577	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 990	
		Total Amount	:	₹ 990	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877319 ₹ 390

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6088

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अभिदाय) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भैरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 75 जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट 60 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

भैरूलाल

अयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप संभागीय चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अंतर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तारण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4860/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1944/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2916/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेंगवी
खसरा नं: 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचंद्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेंडार भीलवाड़ा



साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ___ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी- सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सेंडार भीलवाड़ा



साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946884

नियमन राशि ..... 48601/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6088 ..... के साथ
संलग्न है। श्री भैरूलाल ....
पिता/पति नारू गमेती ..... की रा.ग्रा. सेगवा
की आराजी 516 में से 60 ..... वर्ग गज
कृषि भूमि का रूपांतरण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26738
आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी गंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लायसेन्स हैडा. लां. नं. 23/2017
आजाद नगर , भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:00 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003145

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003217
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल योग	919

202001101003145

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8748/- पूर्व में ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003145

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 202003101101738 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 355 से 362 पर चस्पा किया गया ।

202001101003145

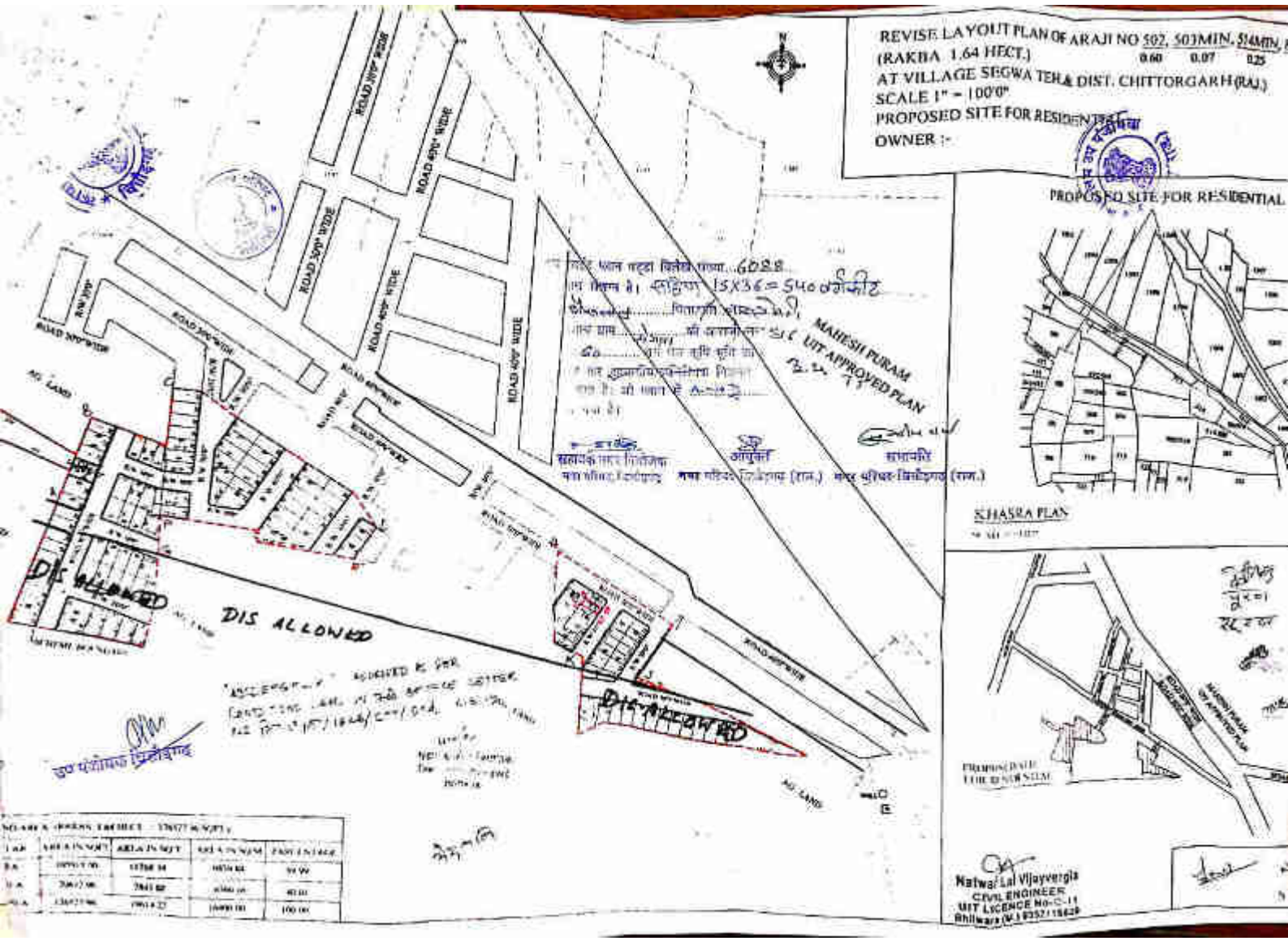
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt
Appendix (Form No. 5 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:03 PM

Fee Receipt No.	: 2020321010022C7	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL	Document S. No.	:	2020010101003145	
Address	: - CHITTORGARH CHITTORGARH CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 3745	Evaluated Value	:	₹ 0	
Crt-Registration Fee	: ₹ 50	Fee for Memorandum Us_64_67	:		₹
CD	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:		₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:		₹
Surcharge	: ₹ 106	Stamp Duty	:		₹ 525
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:		₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:		₹ 0
Custody	: ₹	Others	:		₹ 0
		Cash Amount Received	:		₹ 0
		Other than Cash	:		₹ 919
		Total Amount	:		₹ 919

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)
₹ Stamp In A ₹ 525 e-Pay Challan 99877927 ₹ 919

Signature of presenter or applicant for copy or search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक :6089



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की [illegible] 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भैरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को [illegible] वहां तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो [illegible] आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 76 [illegible] कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट 60 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये मात्र** पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप एंड [illegible] चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तारण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तारण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. **701/06** दिनांक **24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **4860/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **1944/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **2916/–** रू0 रसीद नं. **701/06** दिनांक **24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेंवरा
खसरा नं: 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ____ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

उप पंजीयक, चित्तौड़गढ

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946883

नियमन राशि ..... 48601- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6089 ..... के साथ

संलग्न है। श्री ओम् ....

पिता/पति नाथू जोशी ..... की रा.या योजना

की आराजी S/C में से 60. वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26777
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स हेड. लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:58 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003144

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003216
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल योग	919

202001101003144

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8748/- पूर्व में ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003144

उप खण्ड अधिकारी, CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 27 क्रम संख्या 202003101101737 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 347 से 354 पर चस्पा किया गया ।

202001101003144

उप पंजीयक, CHITTORGARH

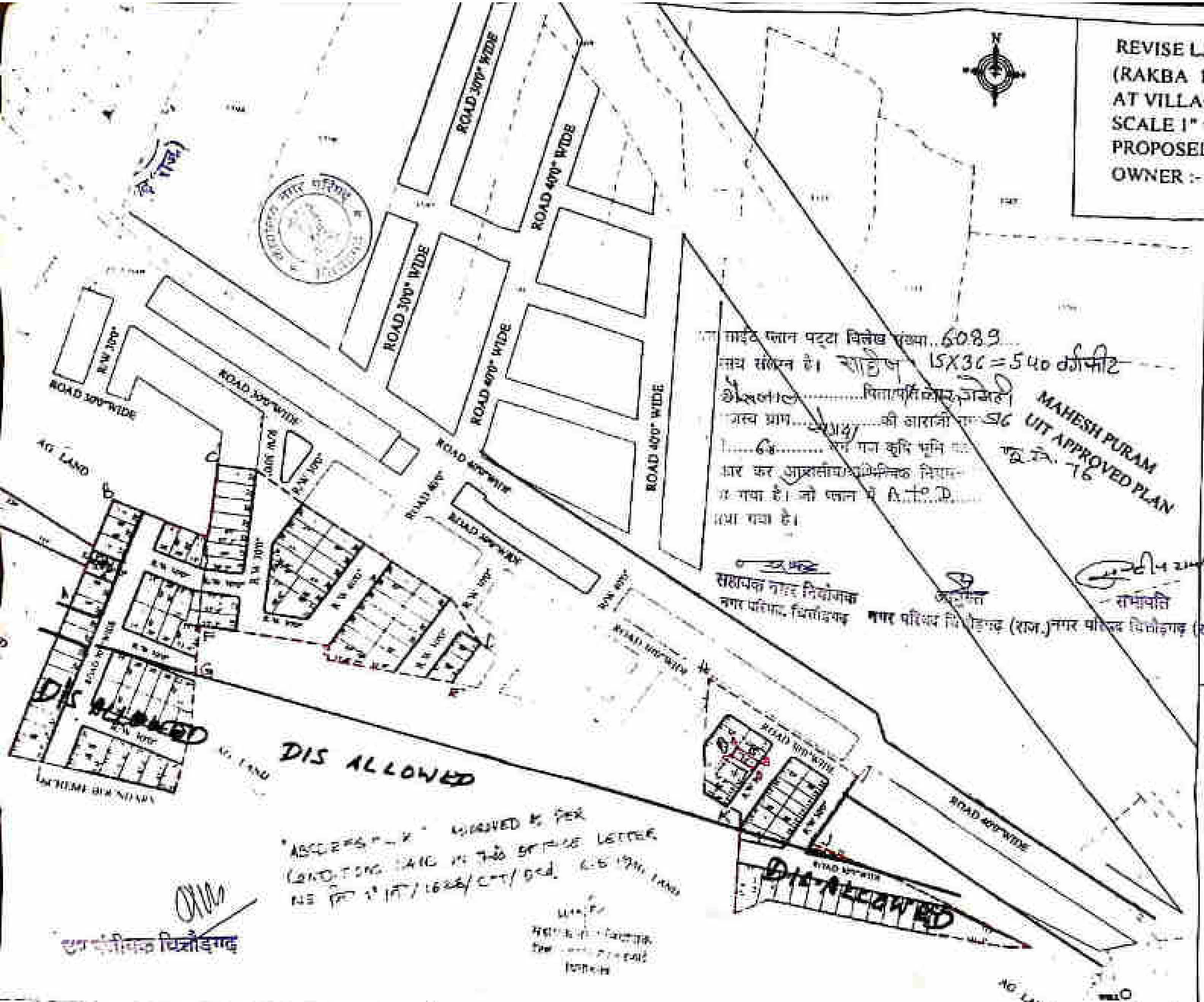
Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



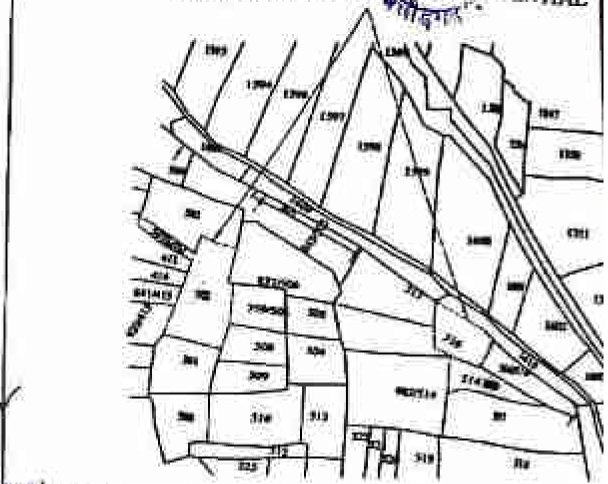
Scanned with CamScanner

REVISE LAYOUT PLAN OF ARAJI NO 502, 503MIN, 514MIN, 8[…]
(RAKBA 1.64 HECT.) 0.60 0.07 0.25
AT VILLAGE SEGWA TEH.& DIST. CHITTORGARH (RAJ.)
SCALE 1" = 100'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

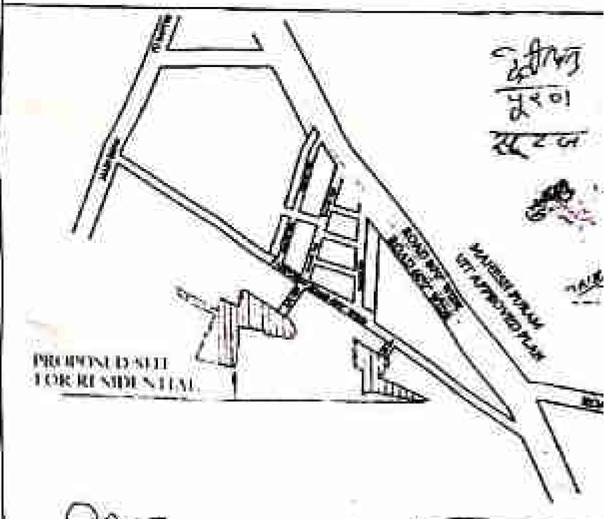


साईट प्लान पट्टा विलेख संख्या 6089
साथ संलग्न है। 15X36 = 540 वर्गफीट
सहायक नगर नियोजक नगर परिषद, चित्तौड़गढ़
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)
सभापति नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL



KHASRA PLAN



LAND AREA (RAKBA 1.64 HECT. = 176527.96 SQFT.)

PLAN	AREA IN SQFT.	AREA IN SQ.Y.	AREA IN SQ.M.	PARCENTAGE
[illegible]EA	105915.00	11768.34	9839.84	59.99
[illegible]EA	70612.96	7845.88	6560.16	40.01
[illegible]EA	176527.96	19614.22	16400.00	100.00

"ABCDEFGHIJK" APPROVED AS PER (CONDITIONS LAID IN THE OFFICE LETTER NO. [illegible]/CTT/DCA. [illegible]

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE No-C-11
Bhilwara (M.) 9352115429

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:55 PM

Fee Receipt No	:	202002101003216	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003144
Address	:	-,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8748	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 88	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 106	Stamp Duty	:	₹ 525
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 919
			Total Amount	:	₹ 919

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 22477342 ₹ 319 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट



कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6090

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है, जिसका आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 77 [illegible] कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट 60 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे [illegible] में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बचनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-28 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ हिन्दुस्तान बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि 4860/-रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1944/-रू0 भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2916/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेंती
खसरा नं. 510
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री रूपप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री रूपप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

उप पंचायत चित्तौड़गढ

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

M 946882

राजस्थान RAJASTHAN

नियमन राशि ..... 4860/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ..6090..... ... के साथ

संलग्न है। श्री ....

पिता/पति ..... की रा.आ ..... वर्ग गज

की आराजी SIG में से 60.

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 16726

आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ

ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु

श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

सादूलाल हेडः लां. नं. 23/2017

आजाद नगर - भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:57 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003143

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003215
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल योग	919

202001101003143

उप पंजीयक
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age: 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age: 45 Signature

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, [illegible] local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under sect[illegible] of the Act 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) [illegible] निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मैं से रु 8748/- पूर्व से ———— दे मेरे समक्ष प्राप्त [illegible]

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे [illegible] गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003143

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment) Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 26 क्रम संख्या 202003101101736 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 339 से 346 पर चस्पा किया गया ।

202001101003143

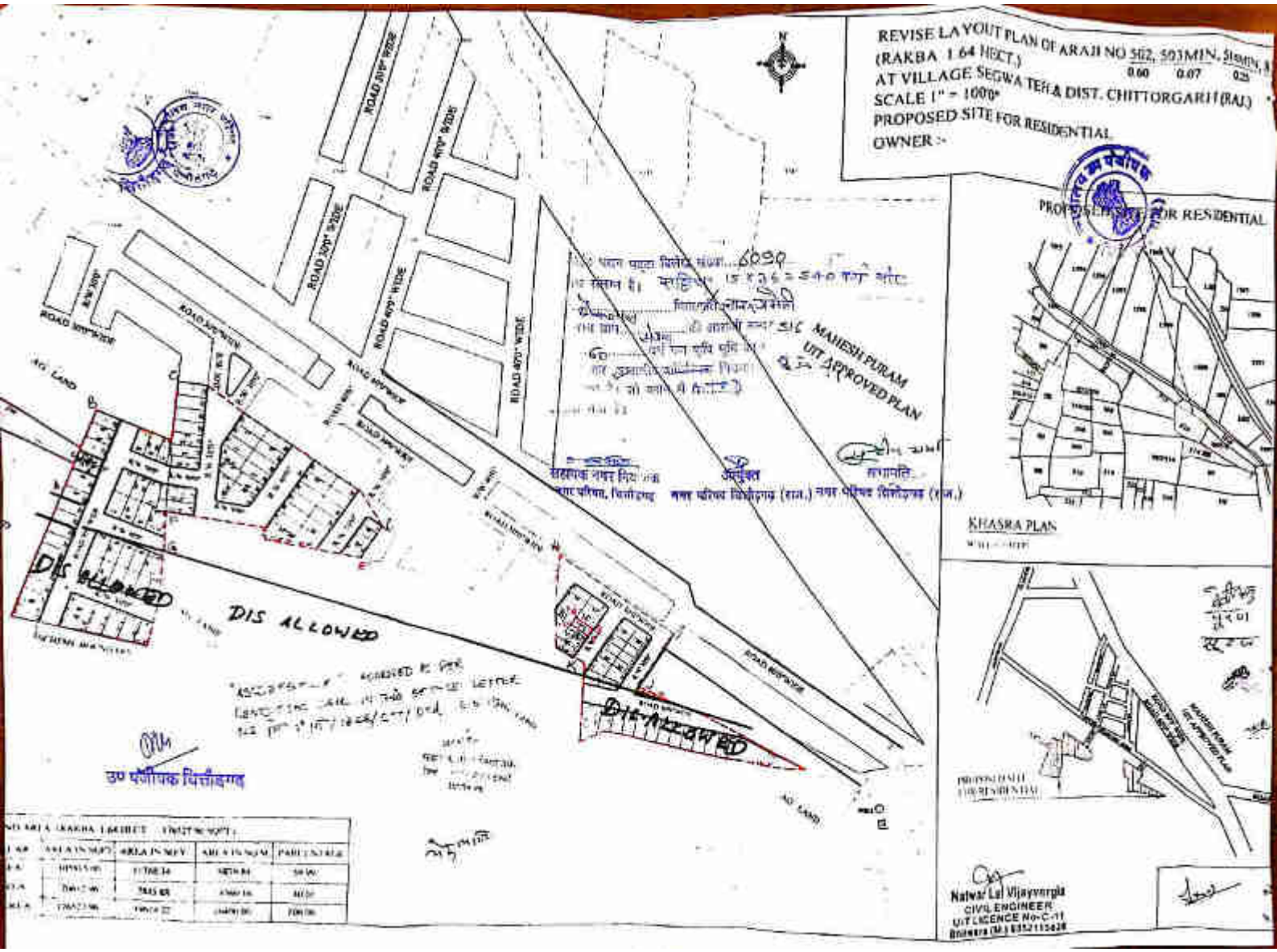
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment). Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:59 PM

Fee Receipt No	:	202002101003215	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003143
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8748	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 88	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 106	Stamp Duty	:	₹ 525
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 919
			Total Amount	:	₹ 919

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 500 # e-Gras Challan 38877352 ₹ 319

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6091

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और अभिदान) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष **2020** के माह **फरवरी** के **26** वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सैंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516** रकबा **0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 78** जिसका **कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट 60 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, संमनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंचायत चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–20 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारित [illegible] बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4860/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1944/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2916/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम रावला
खसरा नं. 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ नि[illegible] की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुमित्रकाश
व्यवसाय .....
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय .....
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा



साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुमित्रकाश
व्यवसाय .....
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा



साक्षी

उप पंचायत चित्तौड़गढ़

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय .....
निवास स्थान सोडार भीलवाड़ा



साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946881

01 JAN 2021

नियमन राशि ..... 4860/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ..... 6091 ..... के साथ

संलग्न है। श्री .....

पिता/पति ..... की रा.ग्रा .....

की आराजी ..... में से 60. वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आबंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 46775
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हैडा, लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 मार्च 03 बजे 2020 को 02:54 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003142

हस्ताक्षर उप पंजीयक
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003214
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल-योग	919

202001101003142

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र. | पट्टाकारों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | पट्टाकारों का प्रकार

1 श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas

2 श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN




Executant Age: 0
Signature:

Claimant Age: 48
Signature:

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8748/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. | गवाहों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI
Age: 49
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI
Age: 28
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN






Signature:

Signature:

202001101003142

उप खण्डीक
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 25 क्रम संख्या 202003101101735 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 331 से 338 पर चस्पा किया गया ।

202001101003142

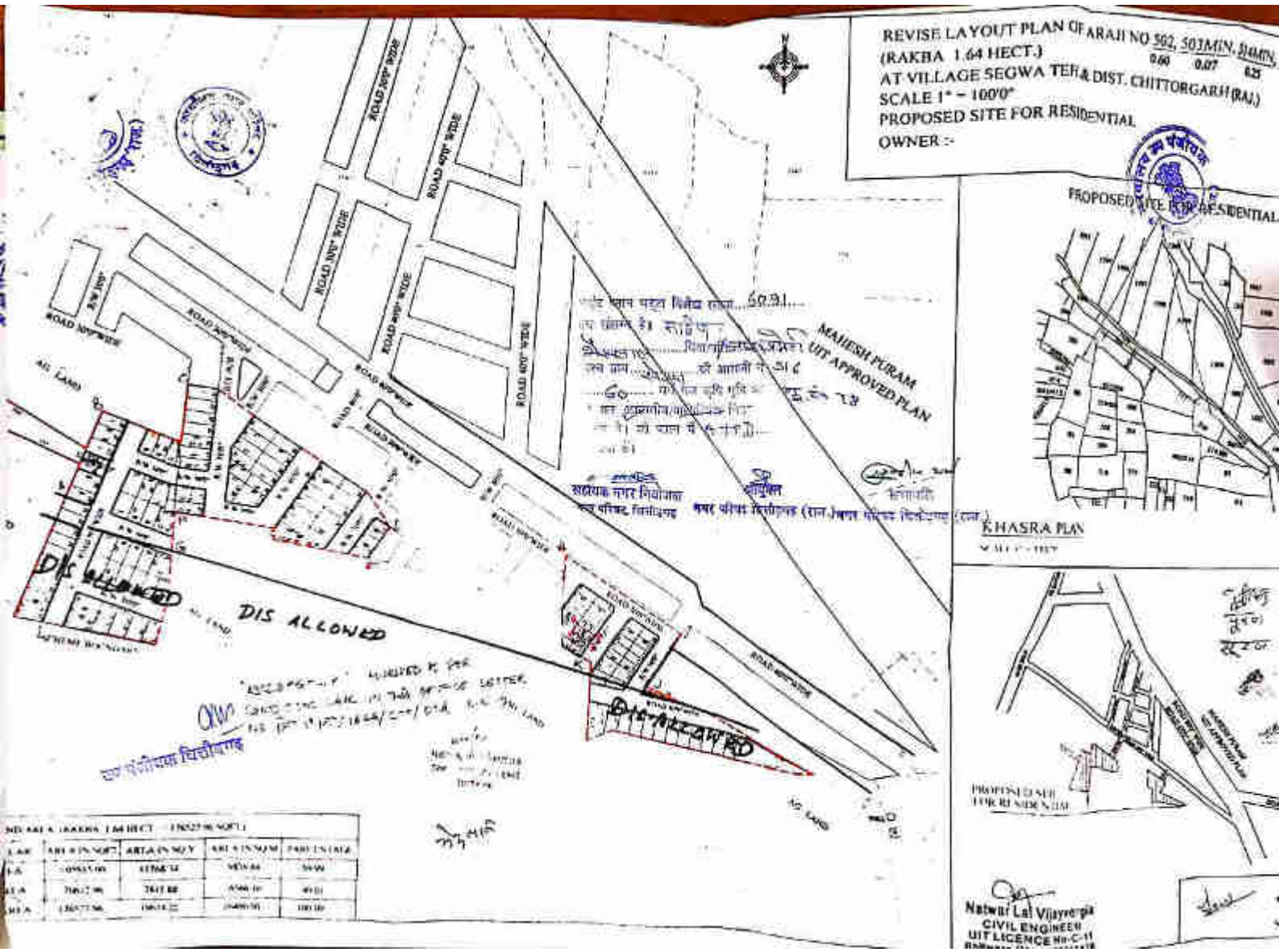
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:52 PM

Fee Receipt No	:	202002101003214	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	2020021010031 42
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6748	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 68	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg.(memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 106	Stamp Duty	:	₹ 525
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 919
			Total Amount	:	₹ 919

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877360 ₹ 319

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6092

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू** गमेती निवासी– सेंती **चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516 रकबा 0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 79** जिसका कुल क्षेत्रफल **736.88 वर्गफीट 81.87 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, उपबंधों शर्तो और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **5306/–** रू0 अक्षरे **पांच हजार तीन सौ छः रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों मे विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से मुक्त नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जायेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा **राशि 6632/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2653/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **3979/– रू0** रसीद नं. **701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ

राजस्व ग्राम : सेंती

खसरा न. 516

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 81.87 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

81.87 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 28 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री रविशंकर प्रेमी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान मीरवाड़ा

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान मीरवाड़ा

साक्षी



आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री मेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान मीरवाड़ा

उप खंडाधिकारी चित्तौड़गढ

साक्षी



नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान मीरवाड़ा

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946880

निष्पादन राशि ..... 66321/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. .....6092..... के साथ
सलग्न है। श्री .....
पिता/पति ..... की रा.ग्रा .....
की आराजी 516 में से 7.1-87 वर्ग गज
कृषि भूमि का समर्पण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 16774
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा ला. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 मार्च 03 बजे 2020 को 02:52 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI, व्यवसाय Business
निवासी House No.-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
2020011101003141

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (In favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2020021101003213
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	120
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	717
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	144
कुल योग	1181

2020011101003141

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (In favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | पक्षकारों का प्रकार

1 श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas

2 श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI
House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN

Executant Age : 0 Signature

Claimant Age : 45 Signature

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, U.I.T, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of (R.L.R) Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself, (in favour of male) को पढ़ सुनकर तथा समझ निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 11938/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 11938/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाही का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI
Age: 49
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN

Signature

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI
Age: 28
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN

Signature

202001101003141

उपपंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 24 क्रम संख्या 202003101101734 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 323 से 330 पर चस्पा किया गया ।

202001101003141

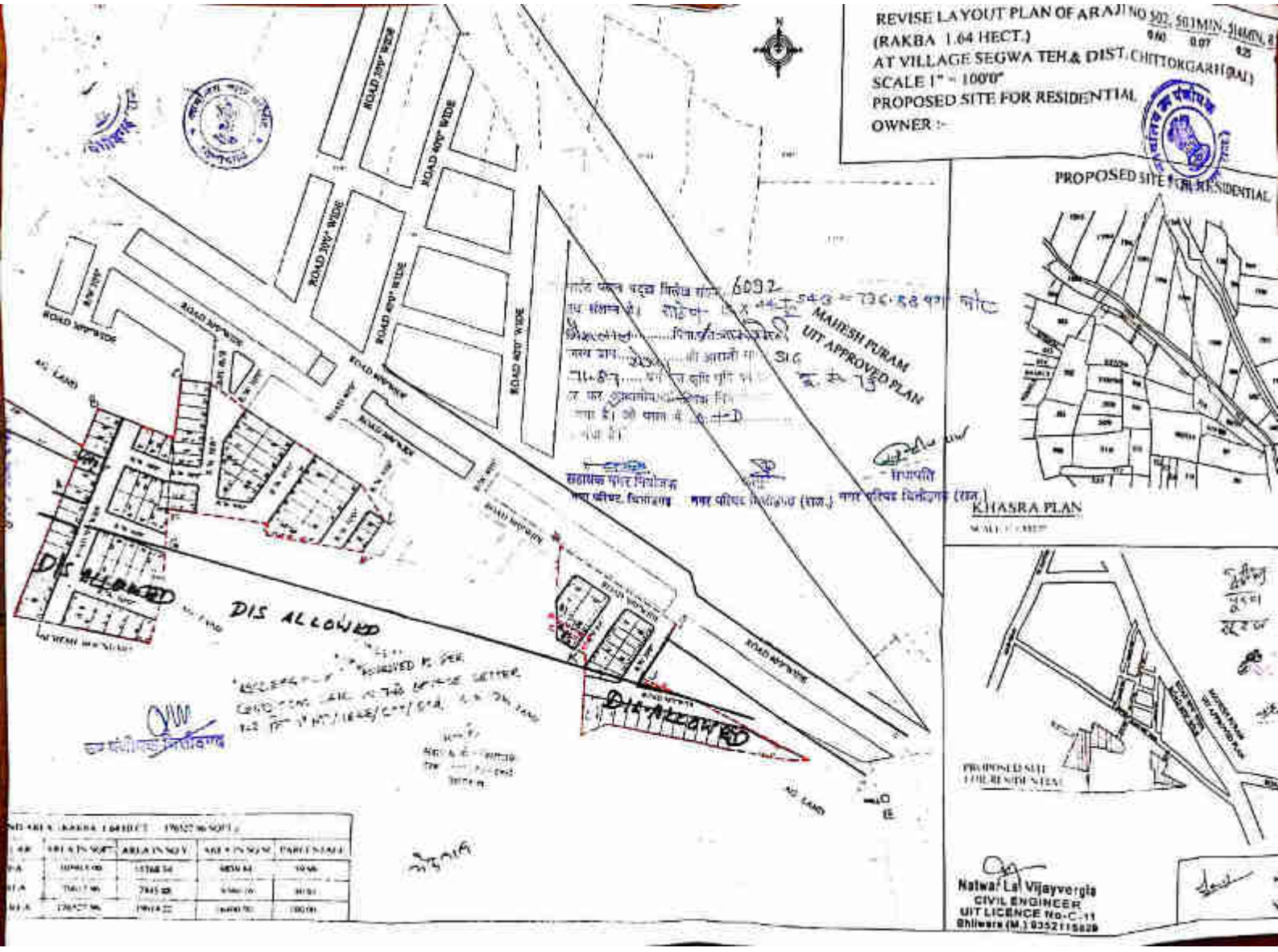
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:54 PM

Fee Receipt No	: 202002101003213	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003141	
Address	: -,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 11938	Evaluated Value	:	₹ 0	
Ord-Registration Fee	: ₹ 120	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 144	Stamp Duty	:	₹ 717	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 1181	
		Total Amount	:	₹ 1181	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38877363 ₹ 581

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6093

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 80 जिसका कुल क्षेत्रफल 583.13 वर्गफीट 64.79 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 4198/– रू0 अक्षरे चार हजार एक सौ अठानमे रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

मेरूलाल

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप खण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमो में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या अन्य आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **5248/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2099/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **3149/–** रू0 रसीद नं. **701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेगवा
खसरा नं. 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर से 64.79 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
64.79 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 28 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) मे हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी



आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

उप खंडाधिकारी चित्तौड़गढ़

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946878

नियमन राशि ..... 52481/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6093 ... के साथ
संलग्न है। श्री भैरूलाल .....
पिता/पति ~~स्व० उदेराम~~ ..... की रा.ग्रा रेलवर
की आराजी 516 में से 64.79 वर्ग गज
कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 26772
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं. नं. 23/2017
आजाद नगर, चित्तौड़

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:50 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No. -, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003140

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003212
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	95
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	567
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	114
कुल योग	976

202001101003140

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

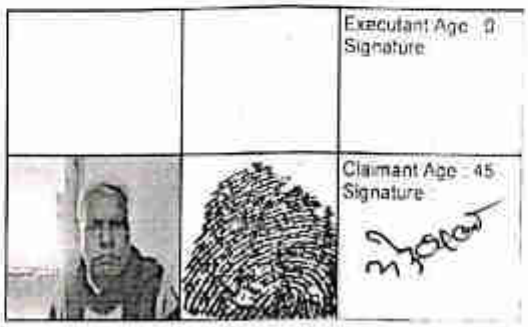
Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र. | पक्षकारों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | पक्षकारों का प्रकार

1 श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas

2 श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Business जाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN



ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of [illegible] Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सु[illegible] निष्पादन करना स्वीकार किया ।

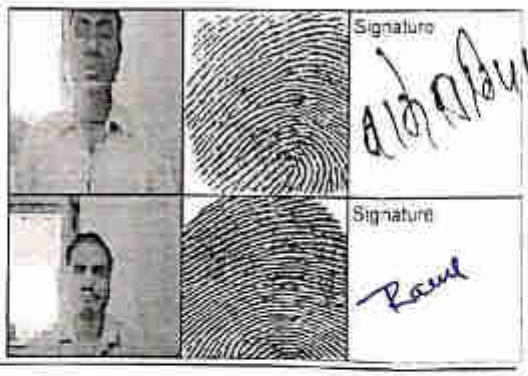
प्रतिफल राशि रु 9446/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9446/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार [illegible]

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. | गवाहों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI
Age: 49
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI
Age: 28
Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN



202001101003140

उप [illegible],
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 23 क्रम संख्या 202003101101733 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 315 से 322 पर चस्पा किया गया ।

202001101003140

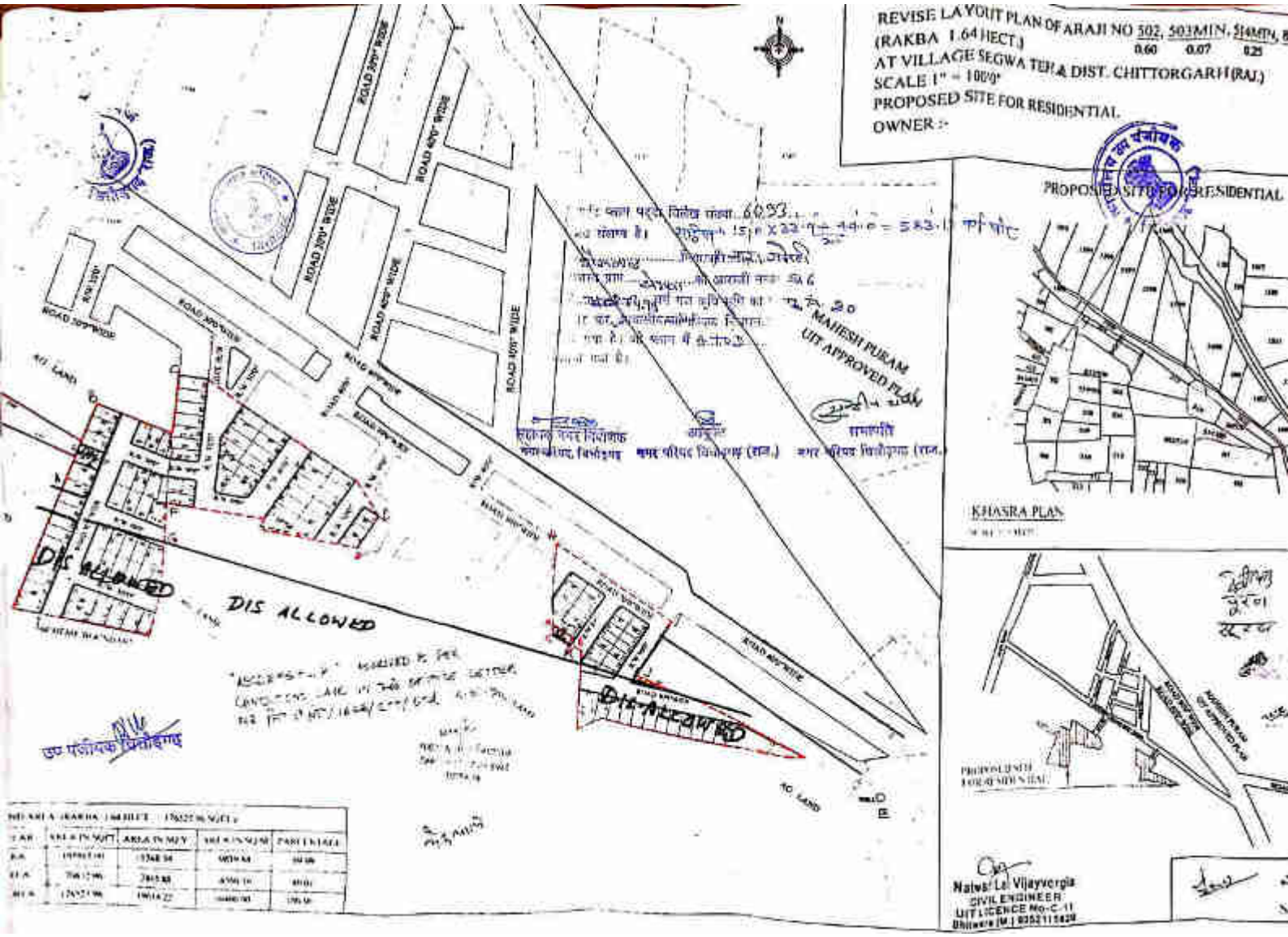
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:47 PM

Fee Receipt No	: 202002101003212	Receipt Date	:	17/03/2020	
Name	: BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003140	
Address	: -,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9446	Evaluated Value	:	₹ 0	
Ord-Registration Fee	: ₹ 95	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 114	Stamp Duty	:	₹ 567	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 976	
		Total Amount	:	₹ 976	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38877377 ₹ 376 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6094

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को हस्तान्तरण का वैसा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करता है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 516 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 81** जिसका कुल क्षेत्रफल **893.63 वर्गफीट 99.29 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **6434/–** रू0 अक्षरे **छह हजार चार सौ चोतीस** रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

अनुमति

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप संभागीय अधिकारी चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-[illegible] के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से मुक्त एवं निर्वाध में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शेड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद चित्तौड़गढ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि 8042/-रू0 की 40 प्रतिशत राशि 3216/-रू0 भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 4826/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं. 516

रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 99.29 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

99.29 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 24 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्नांकित उपस्थिति में (स्थान) मे हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान मीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल प्रजापत
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान मीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार त्रिपाठी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान मीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान मीलवाड़ा

साक्षी





Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner



नियमन राशि ..... 8042/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6094 ... के साथ
संलग्न है। श्री .....
पिता/पति ..... की रा.ग्रा .....
की आराजी 816 में से 99.29 वर्ग गज
कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26773
आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा, लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, गीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 मार्च 03 बजे 2020 को 02:48 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003139

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003211
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	145
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	859
कमी प्रभारी शुल्क ₹	174
कुल योग	1388

202001101003139

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकार का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age: 45 Signature

मै लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, all local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of the Land Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ कर व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 14476/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मै मे रु 14476/- पूर्व मे ———— दे मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003139

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas, (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself, (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 22 क्रम संख्या 202003101101732 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 307 से 314 पर चस्पा किया गया ।

202001101003139

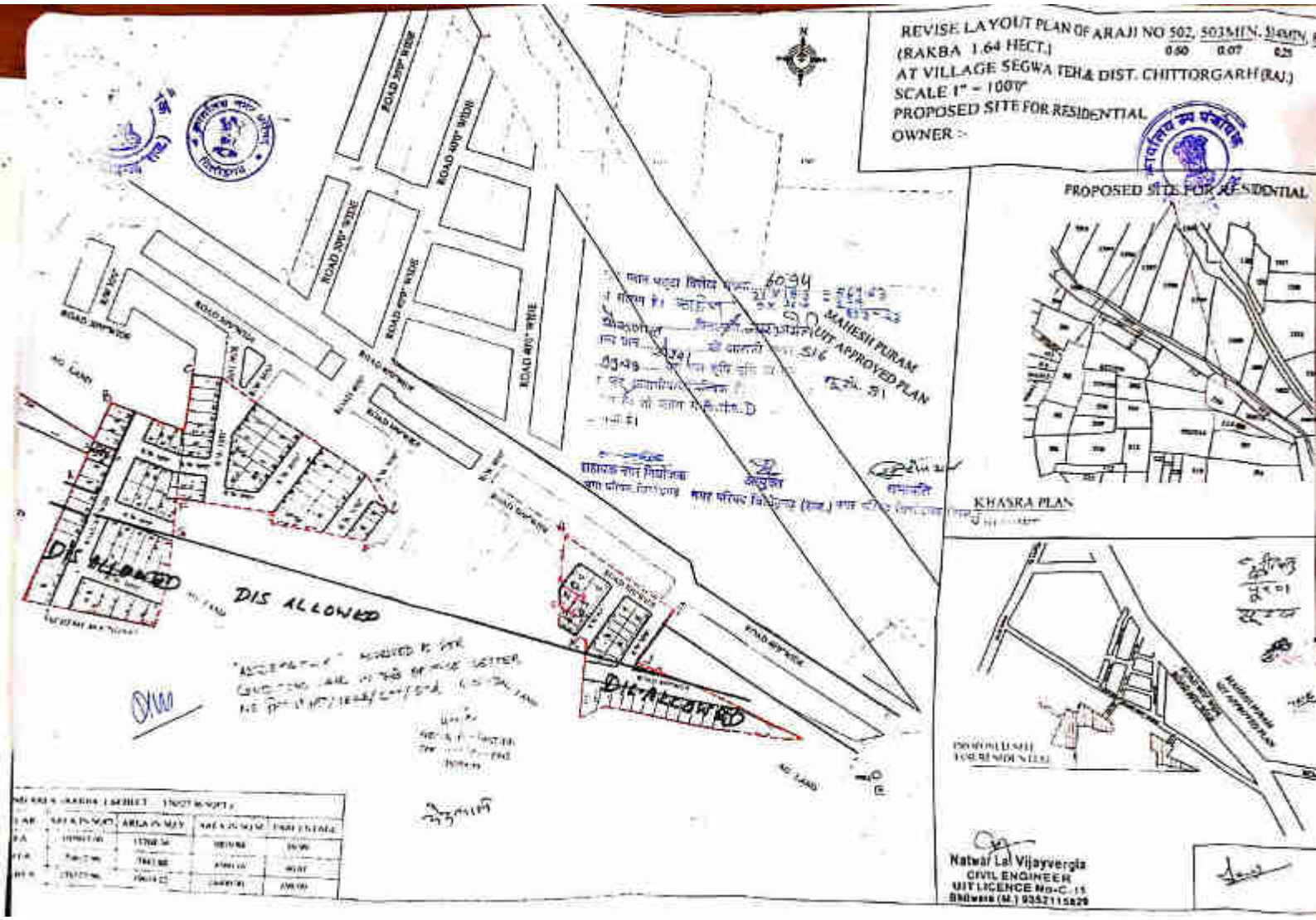
उप पंजीयक/CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself, (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:50 PM

Fee Receipt No	:	202002101003211	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No	:	202001101003139
Address	:	-,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 14476	Evaluated Value	:	₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 145	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 174	Stamp Duty	:	₹ 869
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 1388
			Total Amount	:	₹ 1388

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 36677388 ₹ 788 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6095



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह **फरवरी** के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है, आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 518 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 82** जिसका कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट 60 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में आंशिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रयोजनों के लिए नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की हानि के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4860/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1944/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2916/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेगवा
खसरा नं. 518
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज / मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप मे इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा मे निर्देशित स्थानो और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) मे हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर भीलवाड़ा

साक्षी

नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोगर भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ___ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौडगढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री राकेशकुमार
पुत्र श्री सुप्रिकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

साक्षी



नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान सोगर भीलवाड़ा

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946877

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत
स्टाम्प शुल्क पर इकहरी अधिभार
1. आवासीय भूखण्ड पर इकहरी अधिभार ₹ 50
2. [illegible] ₹ 50
कुल योग ₹ 100

नियमन राशि ..... 4860/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6095 ..... के साथ
संलग्न है। श्री भोलाराम ....
पिता/पति ..... की रा.या. ....
की आराजी ..... में से 60. वर्ग गज
कृषि भूमि का रामपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

Endorsement of Execution

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26771
आयुक्त नगर परिषद चित्तोड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी मंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेड. लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 03:16 PM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU

उम्र 44 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business

निवासी House No. 0, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202001101003155

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003227
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल योग	919

202001101003155

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:0, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 44 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8748/- पूर्व मे ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 50 Add: House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 29 Add: House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature

202001101003155

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 202003101101748 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 435 से 442 पर चस्पा किया गया ।

202001101003155

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

REVISE LAYOUT PLAN OF ARAJI NO 502, 503MIN, 514MIN
(RAKBA 1.64 HECT.) 0.60 0.07 0.25
AT VILLAGE SEGWA TEH.& DIST. CHITTORGARH (RAJ.)
SCALE 1" = 100'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

ROAD 300'0" WIDE
ROAD 400'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 400'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 400'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 400'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 300'0" WIDE
ROAD 400'0" WIDE
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
R.W. 300'
AG LAND
AG LAND
AG LAND
AG LAND
DIS ALLOWED
DIS ALLOWED
MAHESH PURAM
UIT APPROVED PLAN
B.S. 32
प्लान पट्टा विलेख संख्या 6095
क्षेत्रफल है। साईड - 15 X 36 = 540 वर्ग फीट
ग्राम..... की आराजी
पर अव्यावसायिक नियमन
गया है। जो प्लान में है D
। गया है।
सहायक नगर नियोजक
नगर परिषद, चित्तौड़गढ़
आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)
सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)
उप पंजीयक चित्तौड़गढ़
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
KHASRA PLAN
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
MAHESH PURAM UIT APPROVED PLAN

AREA (RAKBA 1.64 HECT. 176527.96 SQFT.)				
LAR	AREA IN SQFT	AREA IN SQFT	AREA IN SQFT	PARCENTAGE
EA	105915.00	11768.34	9839.84	59.99
REA	70612.96	7845.88	6560.16	40.01
REA	176527.96	19614.22	16400.00	100.00

Nalwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE No-C-11
Bhilwara (M.) 9352115829

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 3:18 PM

Fee Receipt No	:	202002101003227	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003155
Address	:	0 ,SENTHI ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8748	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 88	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 106	Stamp Duty	:	₹ 525
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 919**
			Total Amount	:	**₹ 919**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38881082 ₹ 319 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6096

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और रूपांतरण) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी- सेंती चित्तौडगढ** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **516 रकबा 0.24** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 83** जिसका कुल क्षेत्रफल **540 वर्गफीट 60 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3888/-** रू० अक्षरे **तीन हजार आठ सौ अठासी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 की अन्तर्गत रखा-दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4860/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1944/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2916/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेंगवा
खसरा नं.: 516
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 60 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
60 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप मे इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाष नगर भीलवाड़ा

साक्षी



नाम श्री रोडू
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान शोडार भीलवाड़ा

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त श्री भेरूलाल पिता श्री नारू गमेती निवासी– सेंती चित्तौड़गढ लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय



नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुखप्रकाश
व्यवसाय
निवास स्थान सुभाषनगर भीलवाड़ा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ

साक्षी



नाम श्री रोडू
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान शोडार भीलवाड़ा

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946876

51 JAN

नियमन राशि ..... 48601- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. ....6096..... के साथ
संलग्न है। श्री भैरूलाल..... .....
पिता/पति ~~नाथू~~ जेसी..... की रा.या. खेड़ापर
की आराजी 51C में से 60. वर्ग गज
कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।
दिनांक .....

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 86770
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 03 सन् 2020 को 02:46 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU
उम्र 45 वर्ष, जाति GAMETI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101003138

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101003210
दिनांक	17-03-2020
पंजीयन शुल्क ₹	88
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	525
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	106
कुल योग	919

202001101003138

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री BHERU LAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NARU, व्यवसाय Businessजाति GAMETI House No.:-, Colony: CHITTORGARH, Area: CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR A[illegible] 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself, (in favour of male) को पढ़ सुन व समझ निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8748/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 8748/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature :
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAHUL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH CHANDRA जाति RATHI Age: 28 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature :

202001101003138

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/03/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 में
पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 202003101101731 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 709 के
पृष्ठ संख्या 299 से 306 पर चस्पा किया गया ।

202001101003138

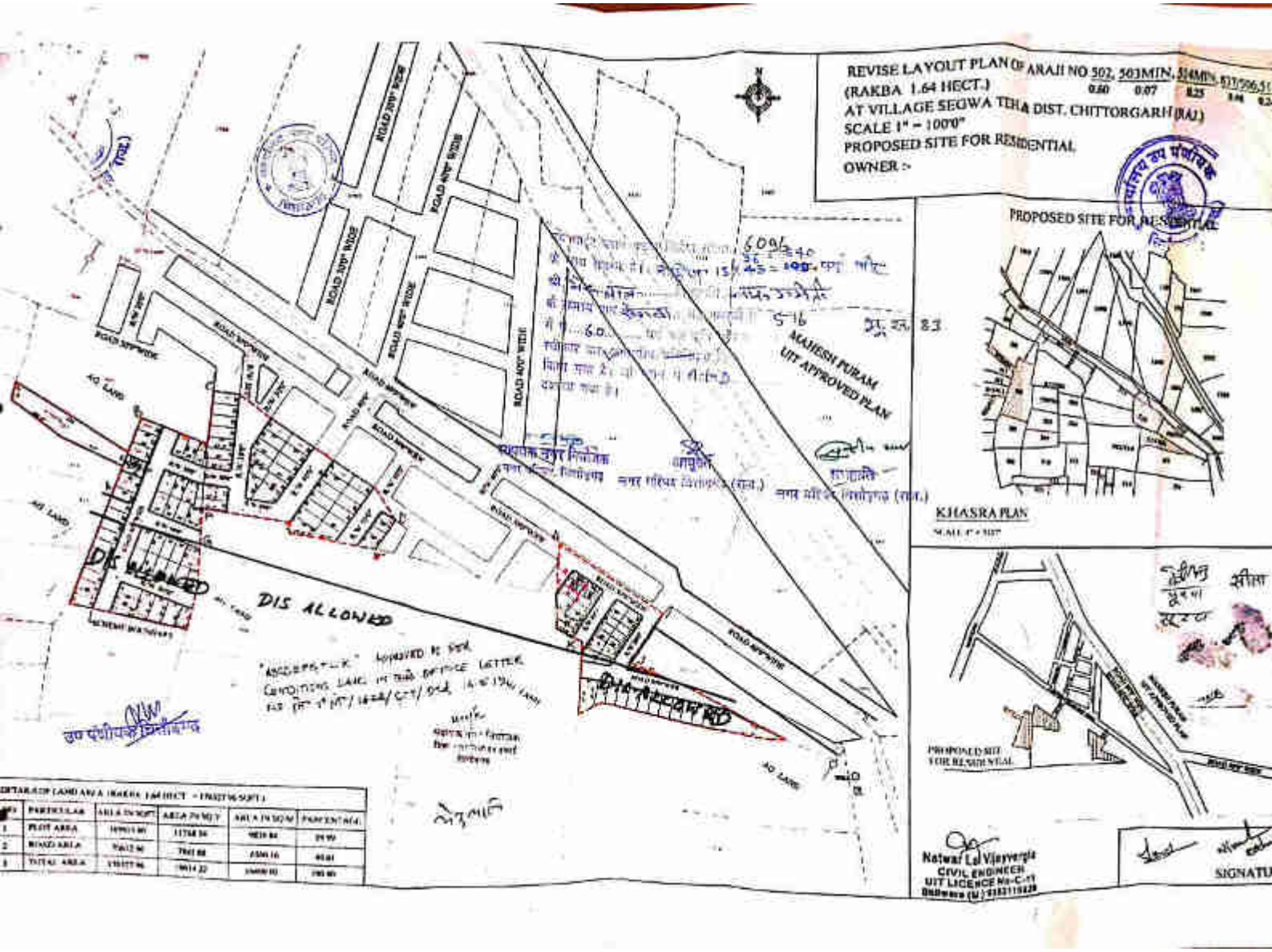
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-03-2020 2:43 PM

Fee Receipt No	:	202002101003210	Receipt Date	:	17/03/2020
Name	:	BHERU LAL,	Document S. No.	:	202001101003138
Address	:	- ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH ,CHITTORGARH			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8748	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 86	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 106	Stamp Duty	:	₹ 525
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 919
			Total Amount	:	₹ 919

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 3857399 ₹ 319 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:- (राज.) 6044

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आपटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीनियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 837/506 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 133** जिसका **कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफीट 50 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3240/–** रू0 अक्षरे **तीन हजार दो सौ चालिस रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 4050/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 1620/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 2430/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ

राजस्व ग्राम : सेवा

खसरा नं: 837/506

रकबा 0.48 हेक्टेयर में से 50 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

50 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

साक्षी

नाम श्री ..... राजेश कुमार .....

पुत्र श्री ..... सुरेश कुमार .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... चित्तौड़गढ .....

साक्षी



नाम श्री ..... राजेश .....

पुत्र श्री ..... सुरेश चन्द .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... चित्तौड़गढ .....

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री ..... राजेश कुमार .....

पुत्र श्री ..... सुरेश कुमार .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... चित्तौड़गढ .....

साक्षी

नाम श्री ..... राजेश .....

पुत्र श्री ..... सुरेश चन्द .....

व्यवसाय .....

निवास स्थान ..... चित्तौड़गढ .....

साक्षी

उप पर्यावेक्षक चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner



राजस्थान RAJASTHAN

M 946926

नियमन राशि ..... 10,501/- .....
यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6044 ... के साथ
संलग्न है। श्री ~~चौधरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड~~
पिता/पति ——— की रा.प्रा. [illegible]
की आराजी 837/806 में से 50. वर्ग गज भू.प्र. 133
कृषि भूमि का संपपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /
आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26820

आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ

ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु

श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता

लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017

आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ352754470819O6S
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 11:22 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181250314849 6S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises. of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	3,766 (Three Thousand Seven Hundred And Sixty Six only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	377 (Three Hundred And Seventy Seven only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	377 (Three Hundred And Seventy Seven only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,520 (Four Thousand Five Hundred And Twenty only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108843

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

SHCIL

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12:51 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR
HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH , व्यवसाय Business
निवासी House No.: , Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष उक्त लेख, पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101002322

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002364
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	711
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	4266
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	854
कुल योग	6131

202001101002322

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAHISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 71100/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 71100/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101002322

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 71100 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 4266 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 711, स्टरलाज राशि 854 कुल रु 5831 रसीद संख्या 202002101002364 दिनांक 28-02-2020 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 4266 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002322

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2020 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में

पृष्ठ संख्या 19 क्रम संख्या 202003101101329 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के

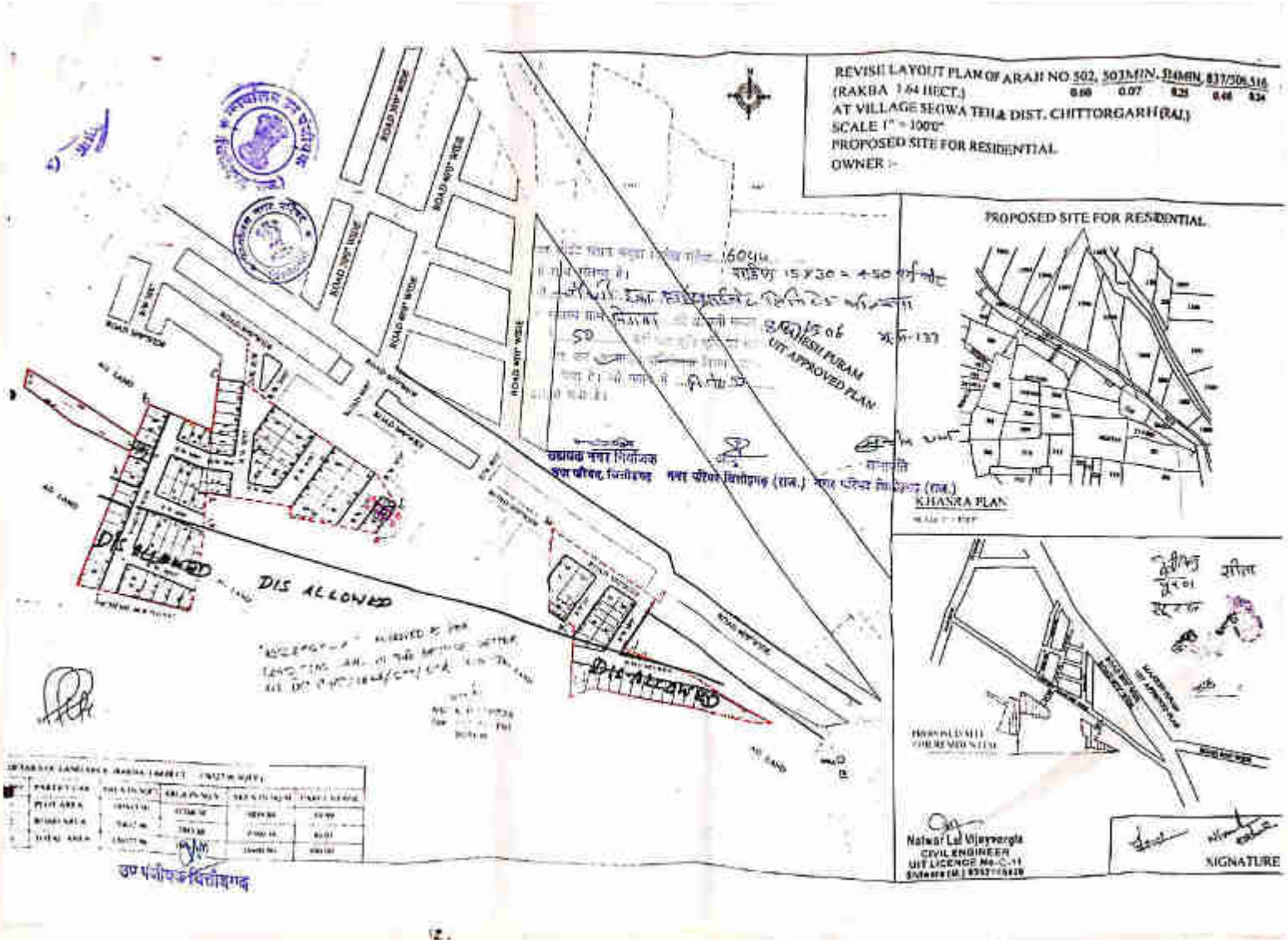
पृष्ठ संख्या 256 से 263 पर चस्पा किया गया ।

202001101002322

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2020 2:17 PM

Fee Receipt No	:	2020021010002384	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH,	Document S. No.	:	202001101002322
Address	:	- ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 71100	Evaluated Value	:	₹ 71100
Ord-Registration Fee	:	₹ 711	Fee for Memorandum Us_54_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 854	Stamp Duty	:	₹ 4266
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 6131
			Total Amount	:	₹ 6131

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-R-RJ37644708190655 ₹ 4520 # e-Gras Challan 38268890 ₹ 1011 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 60/15

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 837/506 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 134-Corner** जिसका **कुल क्षेत्रफल 444 वर्गफीट 49.33 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **3552/-** रू0 अक्षरे **तीन हजार पांच सौ बावन रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से–रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है; अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा **राशि 4440/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **1475–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **2965/–** रू0 रसीद नं. **701/06** दिनांक **24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं: 837 / 506

रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 49.33 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

49.33 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री _____

पुत्र श्री _____

व्यवसाय _____

निवास स्थान _____

साक्षी



नाम श्री _____

पुत्र श्री _____

व्यवसाय _____

निवास स्थान _____

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ___ वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री _____

पुत्र श्री _____

व्यवसाय _____

निवास स्थान _____

साक्षी

उप नियोजक चित्तौड़गढ़



नाम श्री _____

पुत्र श्री _____

व्यवसाय _____

निवास स्थान _____

साक्षी

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946925

नियमन राशि ..... 44401- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6045 ..... के साथ

संलग्न है। श्री चौपासनी हाउसिंग बोर्ड लिमिटेड

पिता/पति — की रा.या रेलवाल

की आराजी 831/506 में से 49·33 वर्ग गज

कृषि भूमि का समर्पण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 16819
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा, ला. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड़ा

available on the website renders it invalid.

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ352756883834125
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 11:30 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181309651601 8S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises. of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	4,131 (Four Thousand One Hundred And Thirty One only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	413 (Four Hundred And Thirteen only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	413 (Four Hundred And Thirteen only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,957 (Four Thousand Nine Hundred And Fifty Seven only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108845

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner





Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12:41 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH, व्यवसाय Business
निवासी House No.: -, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख उपरोक्त पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101002318

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002360
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	772
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	4631
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	926
कुल योग	6629

202001101002318

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No. -, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 28 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 77167/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 77167/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No. -, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No. -, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101002318

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 77167 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 4631 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 772, सरचार्ज राशि 926 कुल रु 6329 रसीद संख्या 202002101002360 दिनांक 28-02-2020 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 4631 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002318

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 202003101101325 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 224 से 231 पर चस्पा किया गया ।

202001101002318

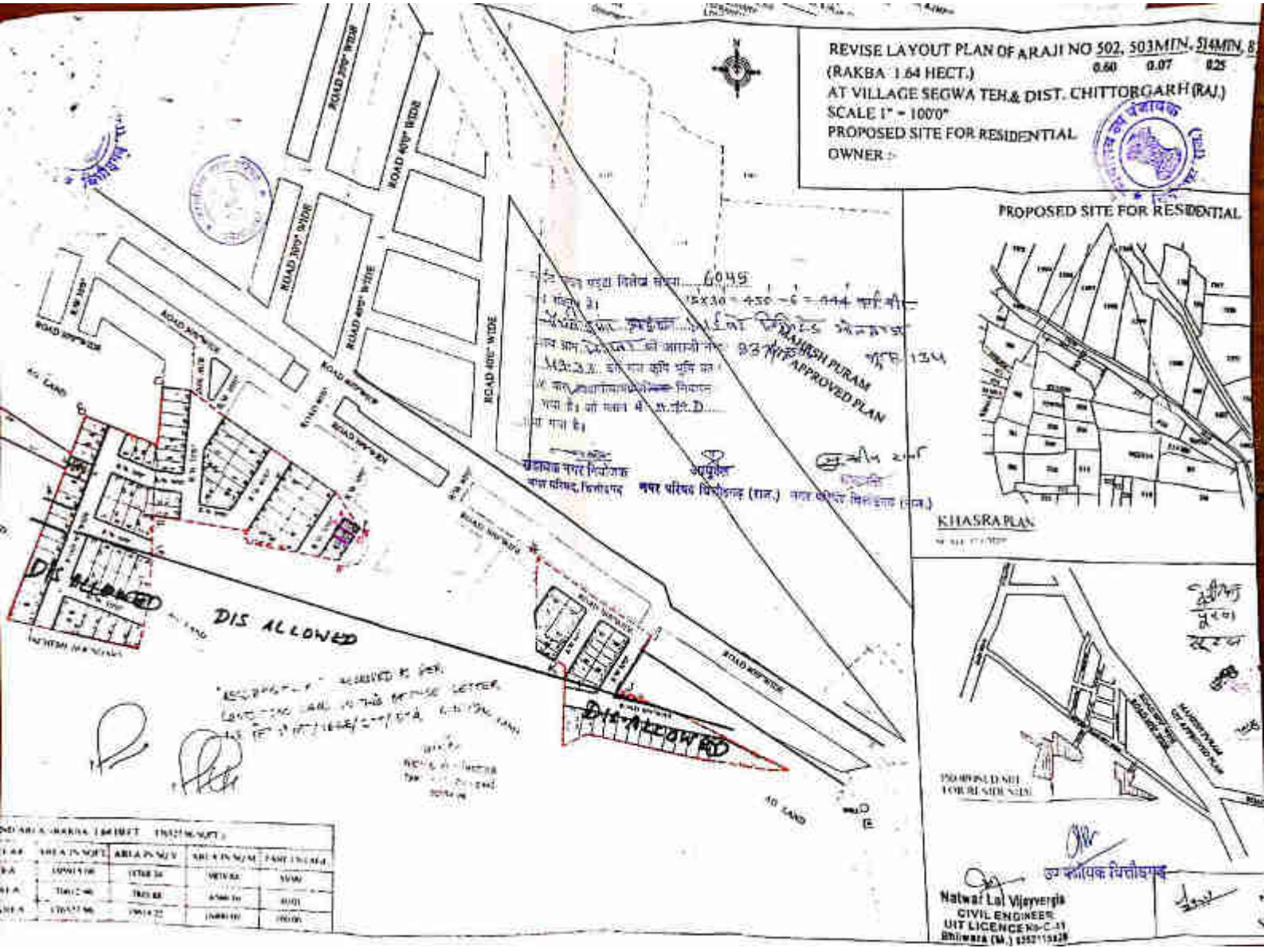
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2020 2:09 PM

Fee Receipt No	:	202002101002360	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH,	Document S. No.	:	202001101002318
Address	:	- ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 77167	Evaluated Value	:	₹ 77167

Ord-Registration Fee	:	₹ 772	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 926	Stamp Duty	:	₹ 4631
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 6629
			Total Amount	:	₹ 6629

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38268586 ₹ 1072 # eStamp IN-RJ35275688383412S ₹ 4957

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6211/16

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 837/506 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 137 जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट 88.88 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तगाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 5759/– रू0 अक्षरे पांच हजार सात सौ उनसाठ रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप अभियंता चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 9 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी हैं। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 7199/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 2879/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 4320/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं: 837/506

रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 88.88 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

88.88 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

अयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी



नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड मीलवाडा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।



लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

Scanned by CamScanner





Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946924

नियमन राशि ..... 7199 .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. ..6246..... के साथ

संलग्न है। श्री चेतन्य कुमार अडेकर लिमिटेड

पिता/पति ..... की रा.या .....

की आराजी 83/306 में से 88·88 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

500/– रुपये के स्टाम्प नं. 2687/8
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा. लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, गीलयाड

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ352757451425205
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 11:33 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181313245339 1S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises, of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	7,084 (Seven Thousand And Eighty Four only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	8,500 (Eight Thousand Five Hundred only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108846

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12:51 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH, व्यवसाय Business
निवासी House No:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, Disirict: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख इकरारनामे पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101002321

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002363
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1264
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	7584
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	1516
कुल योग	10664

202001101002321

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned by CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No. -, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन/समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 126400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 126400/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age 49 Add: House No. -, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age 26 Add: House No. -, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101002321

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned by CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 126400 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 7584 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1264, सरचार्ज राशि 1518 कुल रु 10364 रसीद संख्या 202002101002363 दिनांक 28-02-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 7584 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002321

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 18 क्रम संख्या 202003101101328 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 248 से 255 पर चस्पा किया गया ।

202001101002321

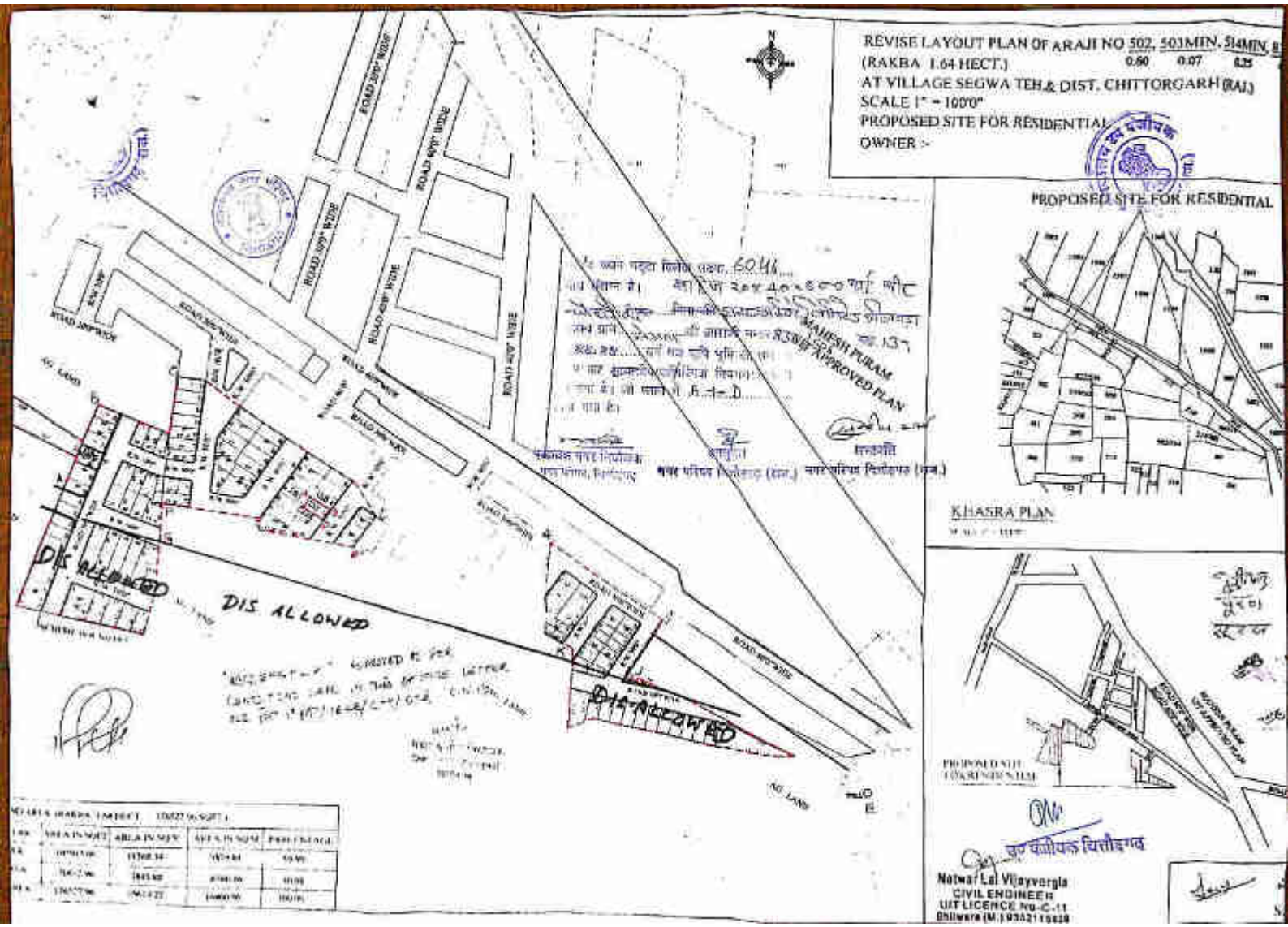
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2020 2:12 PM

Fee Receipt No	:	202002101002363	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH.	Document S. No.	:	202001101002321
Address	:	- ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 126400	Evaluated Value	:	₹ 126400

Ord-Registration Fee	:	₹ 1264	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 1516	Stamp Duty	:	₹ 7584
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 10664
			Total Amount	:	₹ 10664

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-R-35375743142520S ₹ 8500 # e-Gras Challan 38268438 ₹ 1564 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6047

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 837/506 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 138** जिसका **कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट 88.88 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 5759/– रू० अक्षरे पांच हजार सात सौ उनसठ रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरण या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।

12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू-स्वामी/कॉलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू-भाग की अनुज्ञा राशि 7199/-रू0 की 40 प्रतिशत राशि 2879/-रू0 भू-राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 4320/- रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

करार का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं.: 837/506

रकबा 0.46 हैक्टेयर में से 88.88 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

88.88 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के ०६ वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

अधिशासी
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा लोजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

नाम श्री .....
पुत्र श्री .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946923

नियमन राशि ..... 71991/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6047 ... के साथ

संलग्न है। श्री ~~चेचरी इन्फ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड~~

पिता/पति ——— की राशि 71991/-

की आराजी 837/506 में से 88.88 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमिल हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26817
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर - भीलवाड

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12:14 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD THROUGH HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH , व्यवसाय Business
निवासी House No-0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष उपरलिखित पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101002309

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002350
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1264
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	7584
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	1516
कुल योग	10664

202001101002309

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned by CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD THROUGH HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR व्यवसाय Businessजाति LATH House No. 0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 28 Signature

I/ We have Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 126400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 126400/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No. 0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No. 0, Colony: SENTHI CHITTORGARH, Area: SENTHI CHITTORGARH, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101002309

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned by CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पिया रु 126400 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 7584 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1264, सरचार्ज राशि 1516 कुल रु 10364 एतद् रसीद 202002101002350 दिनांक 28-02-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 7584 के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002309

उप पंजीयन
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

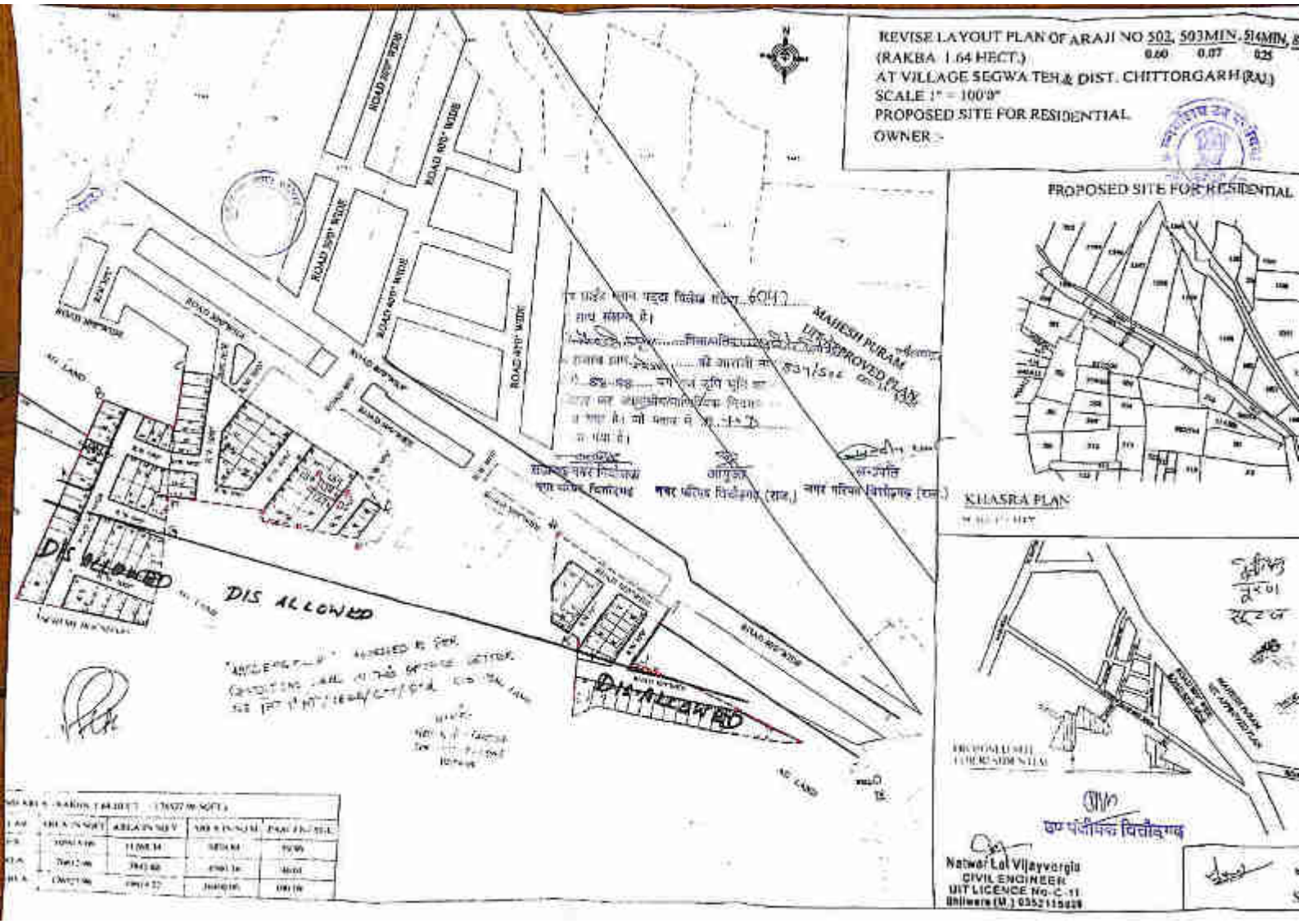
आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 6 क्रम संख्या 202003101101316 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 152 से 159 पर चस्पा किया गया ।

202001101002309

उप पंजीयक CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2020 12:13 PM

Fee Receipt No	:	202002101002350	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD THROUGH HRIDAY LATH.	Document S. No	:	202001101002309
Address	:	0 ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 126400	Evaluated Value	:	₹ 126400
Ord-Registration Fee	:	₹ 1264	Fee for Memorandum Us_64_57	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 1516	Stamp Duty	:	₹ 7584
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 10664
			Total Amount	:	₹ 10664

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 38261915 ₹ 8500 # e-Gras Challan 38261910 ₹ 1564 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक: 60418

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06. वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **837/506 रकबा 0.46** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 139** जिसका **कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट 88.88 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तो और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत करे–दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जनाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **5759/–** रू0 अक्षरे **पांच हजार सा सौ उनसठ रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

उप पजायक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **7199/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **2879/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **4320/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

अयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं: 837/506

रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 88.88 वर्गगज़

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

88.88 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

साक्षी :-

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुश्री एकलारी
व्यवसाय
निवास स्थान भीलवाड़ा

साक्षी



नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान भीलवाड़ा

साक्षी



आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक / द्वितीय पक्ष

नाम श्री राकेश कुमार
पुत्र श्री सुश्री एकलारी
व्यवसाय
निवास स्थान भीलवाड़ा

साक्षी



नाम श्री राहुल
पुत्र श्री सुरेशचन्द्र
व्यवसाय
निवास स्थान भीलवाड़ा

साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946922

भुगतान राशि ..... 7129/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6048 ..... के साथ

संलग्न है। श्री/श्रीमती [illegible] पिता/पति [illegible] की रा.या [illegible]

की आराजी 831/506 में से 88·88 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 26816
आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प केता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा लां. नं. 23/2017
आजाद नगर - भीलवाड

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ35275331590250S
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 11:18 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181241533901 8S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises. of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	7,084 (Seven Thousand And Eighty Four only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	8,500 (Eight Thousand Five Hundred only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108842

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

SHCIL

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12:24 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH, व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

202001101002312

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002355
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1264
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	7584
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	1516
कुल योग	10664

202001101002312

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने निष्पादन Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 126400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 126400/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

2020011010023 12

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 125400 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 7584 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1264, सरचार्ज राशि 1516 कुल रु 10364 रसीद संख्या 202002101002355 दिनांक 28-02-2020 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 7584 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002312

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

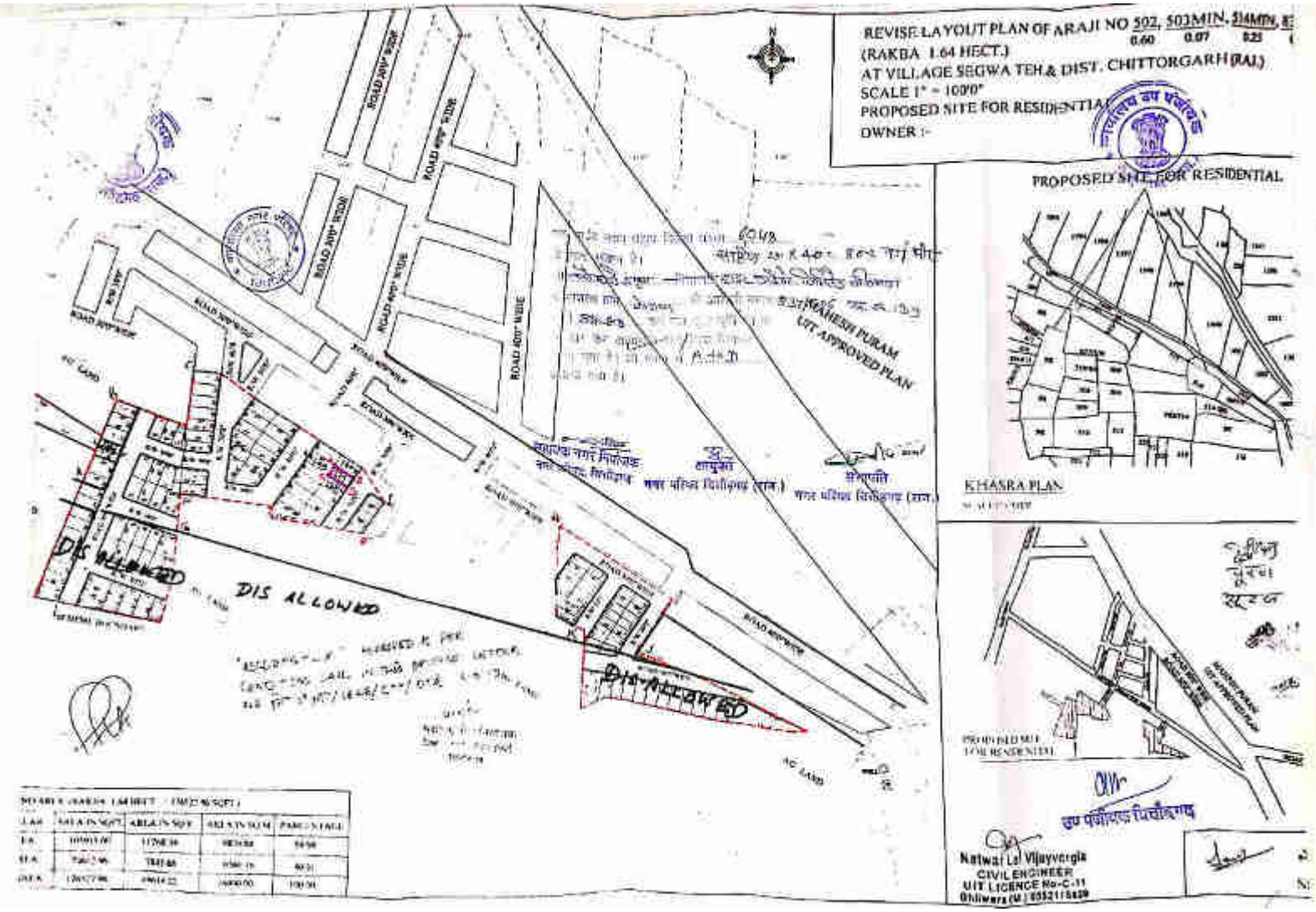
आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 202003101101319 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 176 से 183 पर चस्पा किया गया ।

202001101002312

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 28-02-2020 2:10 PM

Fee Receipt No	: 202002101002355	Receipt Date	: 28/02/2020
Name	: CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH HRIDAY LATH,	Document S. No.	: 202001101002312
Address	: 0 ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 126400	Evaluated Value	: ₹ 126400
Ord-Registration Fee	: ₹ 1264	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 1516	Stamp Duty	: ₹ 7584
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 10664
		Other than Cash	: ₹ 10664
		Total Amount	: ₹ 10664

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
eStamp IN-RJ35728031682505 ₹ 8500 # e-Gras Challan 39269373 ₹ 1564 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient - and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक 6049

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06. वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्है इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय राजस्व ग्राम सेगवा के खसरा नं. 837/506 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से भूखण्ड संख्या 140 जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट 88.88 वर्गगज है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 5759/– रू० अक्षरे पांच हजार सात सौ उनसठ रूपये मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नही किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि 7199/–रू0 की 40 प्रतिशत राशि 2879/–रू0 भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत 4320/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019 को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ़
राजस्व ग्राम : सेगवा
खसरा नं. 837 / 806
रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 88.88 वर्गगज
योजना का नाम : आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :
88.88 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

उप पंजीयक

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 26 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

उप पंजीयक

समापति
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

साक्षी :–

नाम श्री ..... राकेश कुमार .....
पुत्र श्री ..... अमृत प्रकाश .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान ..... भीलवाड़ा .....

राकेश कुमार
साक्षी

नाम श्री .....
पुत्र श्री ..... साईराम चारण .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान ..... भीलवाड़ा .....

साक्षी



आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष



नाम श्री ..... राकेश कुमार .....
पुत्र श्री ..... अमृत प्रकाश .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान ..... भीलवाड़ा .....

राकेश कुमार
साक्षी

उप पंजीयक



नाम श्री ..... राहुल .....
पुत्र श्री ..... सुरेश चन्द्र .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान ..... भीलवाड़ा .....

Rahul
साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946921

नियमन राशि ..... 71991/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6049 ..... के साथ

संलग्न है। श्री/श्रीमती/मैसर्स/कम्पनी/लिमिटेड

पिता/पति ——— की रा.पा. देवला

की आराजी 837/806 में से 88.88 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आबंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।

दिनांक

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/– रुपये व स्टाम्प नं. 16875
आयुक्त नगर परिषद चित्तोडगढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लादूलाल हेडा, लां. नं. 23/2017
आजाद नगर, भीलवाड

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ35275664497858S
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 11:27 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181280373923 6S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises. of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	7,084 (Seven Thousand And Eighty Four only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	708 (Seven Hundred And Eight only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	8,500 (Eight Thousand Five Hundred only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108844

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

SHCIL

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 12.30 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH, व्यवसाय Business
निवासी House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

202001101002314

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002357
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1264
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कलर स्टाम्प शुल्क ₹	7584
कलर सरचार्ज शुल्क ₹	1516
कुल योग	10664

202001101002314

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

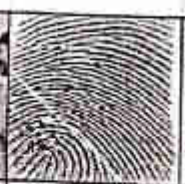
Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन कर समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 126400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 126400/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 49 Add: House No.:-, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LAL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No.:-, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature

202001101002314

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 126400 आंकी हुए मूल्य पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 7584 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1264, सरचार्ज राशि 1518 कुल रु 10366 रसीद नम्बर 202002101002357 दिनांक 28-02-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 7584 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002314

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

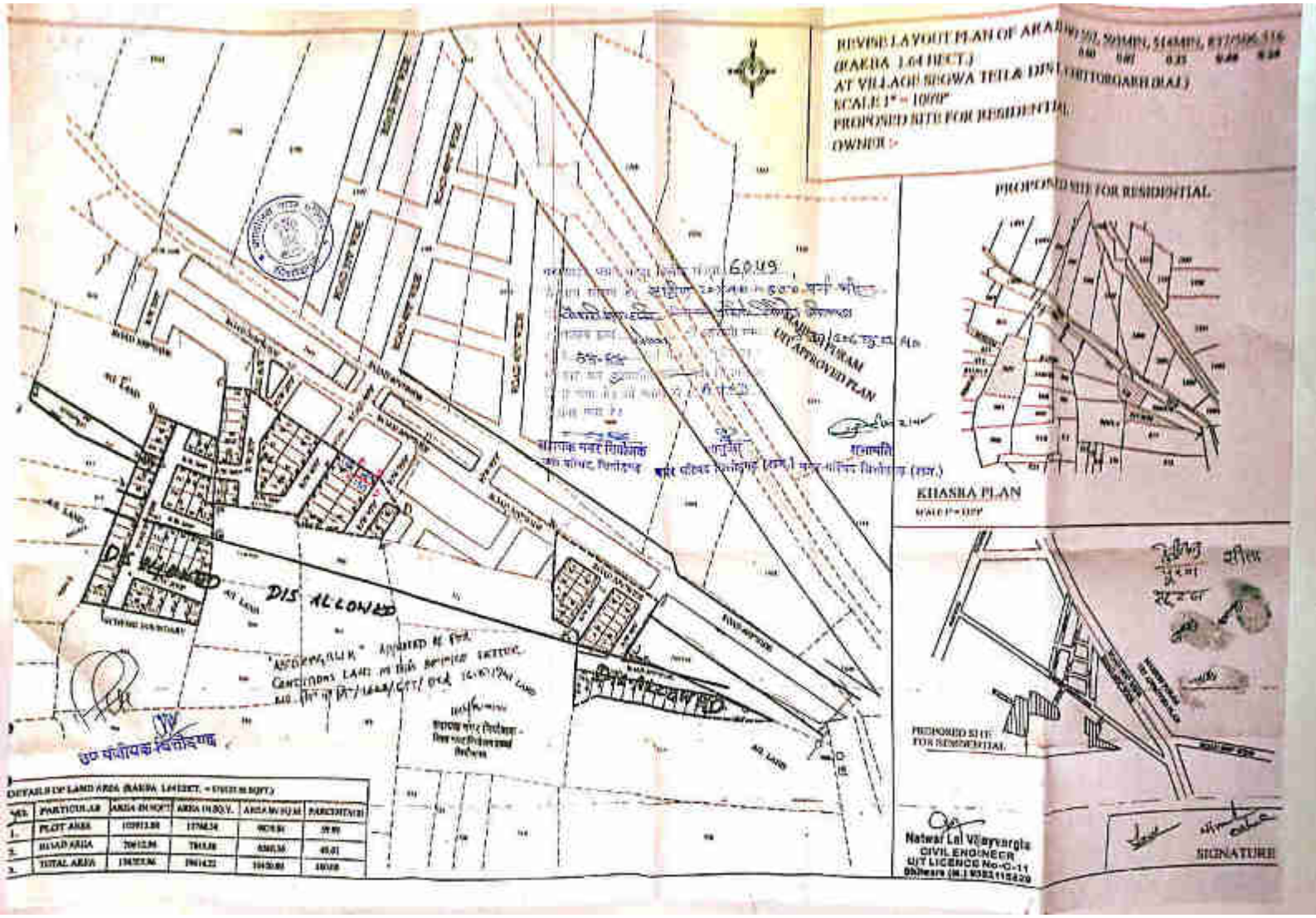
आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 202003101101321 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अंतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 192 से 199 पर चस्पा किया गया ।

202001101002314

उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2020 2:12 PM

Fee Receipt No	:	202002101002357	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD THRU DIR HRIDAY LATH.	Document S. No.	:	202001101002314
Address	:	,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 126400	Evaluated Value	:	₹ 126400

Ord-Registration Fee	:	₹ 1264	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 1516	Stamp Duty	:	₹ 7584
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 10664**
			Total Amount	:	**₹ 10664**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ35275644078585 ₹ 8500 # e-Gras Challan 38269152 ₹ 1564 # Stamp N.A. ₹ 600

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : 6050

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का **पट्टा विलेख**

यह विलेख आज वर्ष 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ ।

(जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा सरकार कर ली गई है, और इसमें अल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वहा तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **आवासीय** राजस्व ग्राम **सेगवा** के खसरा नं. **837/506 रकबा 0.48** हैक्टेयर में से **भूखण्ड संख्या 148** जिसका **कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट 100 वर्गगज** है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तो और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग, और इस्तमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **6480/-** रू0 अक्षरे **छः हजार चार सौ अस्सी रूपये** मात्र पेशगी अदा कर दी गई है। पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठगुणा के बराबर है और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मुल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाया को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. उक्त भूमि की 8 वर्षिय लीज राशि परिषद् कोष में **रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को जमा हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को 99 वर्षिय लीज मुक्त किया जाता है।
12. नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्वीकृत आन्तरिक सड़के (सी.सी./बी.टी.) विद्युत लाईन, पार्क, नाली आदि विकास कार्य भू–स्वामी/कोलोनाईजर द्वारा स्वयं के व्यय पर दो वर्ष के भीतर किया जावेगा। नगर परिषद् द्वारा इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. इस पट्टा विलेख में अंकित आवासीय भू–भाग की अनुज्ञा राशि **8100/–रू0** की 40 प्रतिशत राशि **3240/–रू0** भू–राजस्व मद 0029 राज्य कोष में जरिये चालान से जमा कराये जा चुके है। एंव 60 प्रतिशत **4860/– रू0 रसीद नं. 701/06 दिनांक 24.12.2019** को परिषद् कोष में जमा हो चुकी है।

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : चित्तौड़गढ

राजस्व ग्राम : सेगवा

खसरा नं. 837 / 506

रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 100 वर्गगज

योजना का नाम : आवासीय

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर :

100 वर्गगज आवासीय प्रयोजनार्थ

दिशाए मानचित्र अनुसार संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से आज सन् 2020 के माह फरवरी के 06 वे दिन आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

सभापति
नगर परिषद चित्तौड़गढ

आयुक्त
नगर परिषद् चित्तौड़गढ

साक्षी :-

नाम श्री राजेश कुमार तिवाड़ी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

आज सन् 2020 के माह फरवरी के ..... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थित में उक्त चौधरी इंफ्रा हाइट प्राईवेट लिमिटेड भीलवाडा लीजधारक द्वारा कार्यालय न.प. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

नाम श्री राजेश कुमार तिवाड़ी
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

नाम श्री अब्दुल
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

उप पंजीयक चित्तौड़गढ







Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

M 946920

150

100

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

नियमन राशि ..... 8102/- .....

यह स्टॉम्प पट्टा सं. 6050 ... के साथ

संलग्न है। श्री ~~चौधरी देवकरण एण्ड प्रमोटर लिमिटेड~~

पिता/पति — की रा.या जयपुर

की आराजी 837/506 में से 100 वर्ग गज

कृषि भूमि का समपण स्वीकार कर आवासीय नियमन /

आवंटन का पट्टा विलेख की तकमील हेतु पेश है।

दिनांक .....

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

मु. नं. 148

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

500/- रुपये व स्टाम्प नं. 26814
आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ
ने स्टाम्प वेण्डर से वास्ते पंजीयन हेतु
श्री अनिल जी भंडारी के हस्ते दिया गया। दि. 11.01.2020

हस्ताक्षर स्टाम्प क्रेता

हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं. सं. 23/2017
आजाद नगर, चित्तौड़

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ35274210199574S
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2020 10:46 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3001804/ CHITTORGARH/ RJ-CG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30018046181036558777 7S
Purchased by	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Description of Document	:	Article 33 Lease or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Govt,RHB, UDH/local bodies,RIICO,PS,GP,KUM, RSCHFA and any other auth. or enterprises. of the State Govt, executed before 31-7-19 and submitted for registration within 8 month from the date of its execution.(in fav of male)
Property Description	:	RESI. PLOT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAGAR PARISHAD CHITTORGARH
Second Party	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	8,032 (Eight Thousand And Thirty Two only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	803 (Eight Hundred And Three only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	803 (Eight Hundred And Three only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	9,638 (Nine Thousand Six Hundred And Thirty Eight only)

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

MA0001108834

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner





Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

Scanned with CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 02 सन् 2020 को 01:13 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH
HRIDAY LATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR
उम्र 26 वर्ष, जाति LATH , व्यवसाय Business
निवासी House No: 0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001101002330

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002101002372
दिनांक	28-02-2020
पंजीयन शुल्क ₹	1422
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	8532
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	1706
कुल योग	11960

202001101002330

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Endorsement of Execution

Scanned with CamScanner

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
	1 श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PARISHAD CHITTORGARH, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
	2 श्री/श्रीमती/सुश्री CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH HRIDAY LATH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANISH KUMAR, व्यवसाय Businessजाति LATH House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 142200/- पूरे मे / मेरे समक्ष / मे से रु 142200/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
	1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAKESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURYA PRAKASH जाति TRIPATHI Age: 48 Add: House No.:0, Colony: BHILWARA, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature :
	2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GHISA LEL जाति DHAKER Age: 26 Add: House No.:0, Colony: SENTHI, Area: SENTHI, City: CHITTORGARH, Pin code: 312001, District: CHITTORGARH, State: RAJASTHAN			Signature :

202001101002330

उप पंजीयक,
CHITTORGARH

Scanned with CamScanner

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 142200 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्राक राशि रु 8532 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1422, सरचार्ज राशि 1706 कुल रु 11660 रसीद संख्या 202002101002372 दिनांक 28-02-2020 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 8532 के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

202001101002330

उप पंजीयक
CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 176 में
पृष्ठ संख्या 27 क्रम संख्या 202003101101337 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 701 के
पृष्ठ संख्या 320 से 327 पर चस्पा किया गया ।

202001101002330

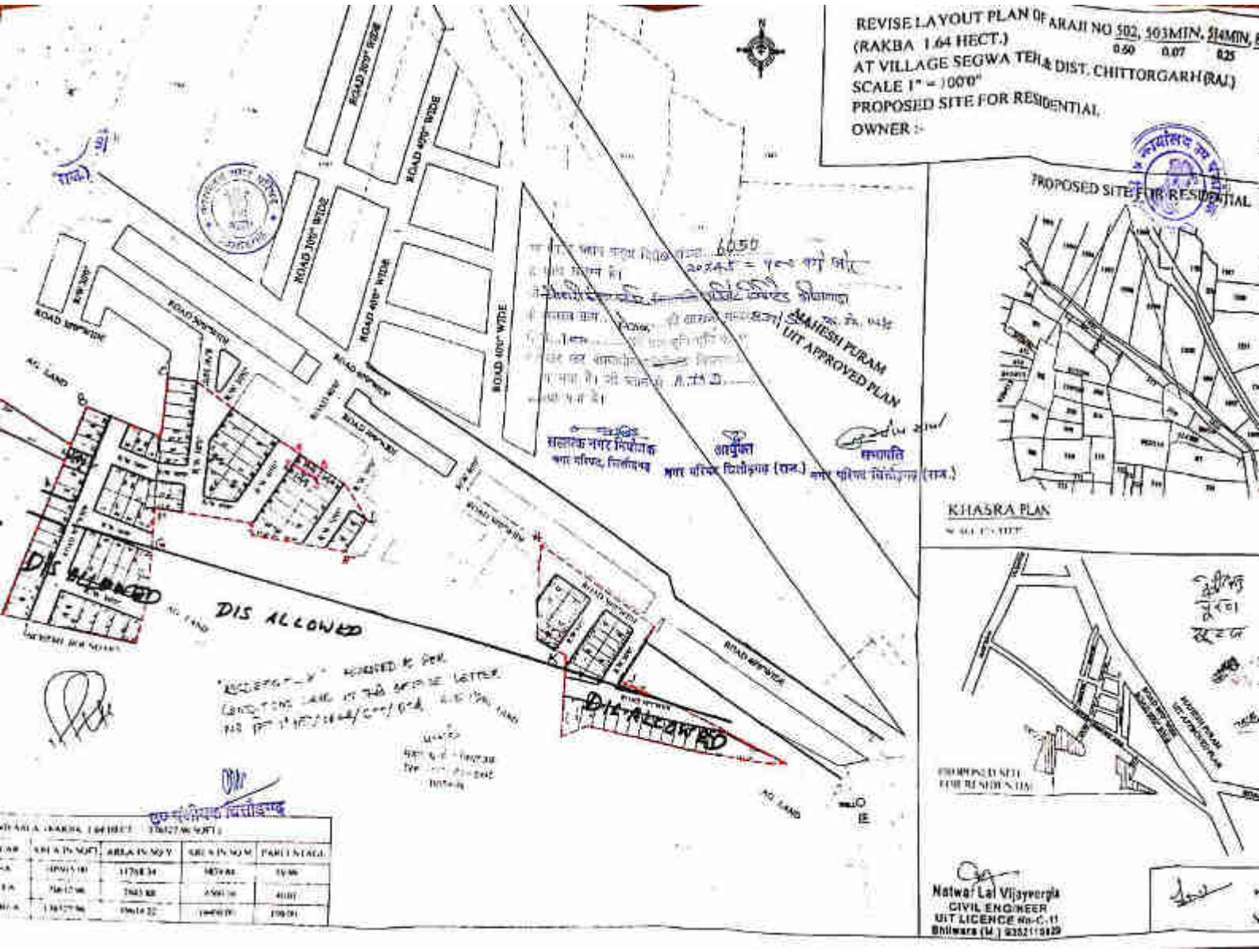
उप पंजीयक, CHITTORGARH

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land alloted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, submitted for registration on or before 31-12-2020 (in favour of male)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : CHITTORGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 28-02-2020 2:20 PM

Fee Receipt No	:	202002101002372	Receipt Date	:	28/02/2020
Name	:	CHOUDHARY INFRAHEIGHT PVT. LTD. THROUGH HRIDAY LATH,	Document S. No.	:	202001101002330
Address	:	0 ,BHILWARA ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 142200	Evaluated Value	:	₹ 142200

Ord-Registration Fee	:	₹ 1422	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 1706	Stamp Duty	:	₹ 8532
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 11960
			Total Amount	:	₹ 11960

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 600 # e-Gras Challan 38263232 ₹ 1722 # eStamp IN-RJ35274210199574S ₹ 9638

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Scanned with CamScanner